श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
भारत सरकार (Government of India)

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

अक्षर यात्रा

23 वाँ अंक, वर्ष 2021-2022

भाविना पटेल
पैरालंपिक के इतिहास में टेबल टेनिस में भारत की प्रथम पदक (रजत) विजेता

क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद, गुजरात-380014

श्री भूपेंद्र यादव, माननीय केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार तथा वन,पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार द्वारा शुभकामना संदेश सहित श्रीमती भाविना पटेल, पैरालंपिक पदक विजेता के बधाई चित्र का अनावरण तथा “ईएसआईसी गुजरात का हाथ, राज्य के श्रमिकों–कामगारों के साथ” नामक पुस्तक का विमोचन

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

अक्षर यात्रा

विभागीय हिंदी पत्रिका

वर्ष 2021 2022 अंक 23 केवल विभागीय परिचालन हेतु

संरक्षक एवं प्रधान संपादक:
रत्नेश कुमार गौतम
अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक

मार्गदर्शक
कमल कान्त मीना
सहायक निदेशक (प्रभारी राजभाषा)

संपादक
कमल राम प्रजापत
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

उप संपादक
भूपेन्द्र कुमार
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

टंकण सहयोग
एस.डी.महेता
उच्च श्रेणी लिपिक

प्रकाशक
क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-380014

दूरभाष: 079-27582400/450 (079-27540233, वी.ओ.आई.पी.सं. 20079034 राजभाषा शाखा)
ईमेल: rd-gujrat@esic.nic.in वैबसाइट: www.esic.nic.in

मुखपृष्ठ: पैरालंपिक के इतिहास में टेबल टेनिस में भारत की प्रथम पदक (रजत) विजेता - भाविना पटेल
मुद्रक: गोल्डमाईन एडवर्टाईजींग लिमिटेड, अहमदाबाद

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार रचनाकारों के निजी विचार हैं, इनसे संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक/रचना	रचनाकार	पृष्ठ सं.
01.	पत्रिका विवरण	---	01
02.	अनुक्रमणिका	---	02
03.	संरक्षक की कलम से	श्री रत्नेश कुमार गौतम	03
04.	राजभाषा प्रभारी की कलम से	श्री कमल कान्त मीना	04
05.	संपादक की कलम से	श्री कमल राम प्रजापत	05
06.	संदेश	महानिदेशक	06
07.	संदेश	वित्त आयुक्त	07
08.	संदेश	चिकित्सा आयुक्त	08
09.	संदेश	बीमा आयुक्त (राजभाषा)	09
10.	गुजरात का गौरव-भाविना पटेल	श्रीमती विजयिता सिन्हा	10-16
11.	कृषि श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	श्री रत्नेश कुमार गौतम	17-19
12.	समन्वय-प्रबंधन का सार	श्री राज के. सिंह	20-22
13.	दैनिक जीवन की पाठशाला से ली गई चंद ज्ञान की कुछ बातें	श्री गौतम कुमार	23-24
14.	कोरोना की पहली-दूसरी लहर में लिखी गई	श्री गौतम कुमार	25
15.	नारी	श्री राज के. सिंह	26
16.	वो दस दिन-विपश्यना शिविर	श्री श्याम सुंदर	27-28
17.	आदर्श नागरिक	श्री कमल राम प्रजापत	29-30
18.	छायाचित्र	राजभाषा शाखा	31-34
19.	कोविड-विज्ञान और अंधविश्वास	कुमारी नीतिका	35-36
20.	सूचना प्रौद्योगिकी और आर्थिक प्रगति में हिंदी का योगदान	श्रीमती पूजा कुलकर्णी	37
21.	मानवीय मूल्य	श्री भूपेन्द्र कुमार	38-39
22.	व्यर्थ की होड़	श्री कमल राम प्रजापत	40-41
23.	माँ-संकल्प	श्री सौरभ वालिया	42
24.	तुझे जीतने की जिद में सब हार चला हूँ मैं	श्री अभिनव गुप्ता	43
25.	मेरा शहर	श्री कमल कान्त मीना	44
26.	नयी शिक्षा नीति	श्री बबलेश मीना	45
27.	एक वैक्सीन बनाओ न्यारी	श्री महेन्द्र पाल मीणा	46
28.	पड़ोसन का नीला दुपट्टा	श्री भगवान सहाय मीना	47
29.	महात्मा गांधी, फुटबॉल और राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव	श्री लीलानंद बलुनी	48-49
30.	स्थित प्रज्ञ धुंध	श्री एस. डी. महेता श्री राजीव रंजन शर्मा	50
31.	गंगा की दुर्दशा-गंगा की पुकार	डॉ. संजय वंश	51
32.	वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और मेरा अनुभव	श्री अर्जुन सी. दैया	52
33.	तमाशा	श्री राजीव रंजन शर्मा	53-54
34.	वर्तमान परिदृश्य में मानसिक स्वास्थ्य मैं चिंता छोड़ आया	कु. फरहानाबानु खोखर कु. शुभा जायसवाल	55-56
35.	धर्म और संविधान साक्षात्कार-एक चुनौती	श्री निखिल कुमार श्री कमल राम प्रजापत	57-58
36.	हिंदी प्रगति रिपोर्ट	राजभाषा शाखा	59
37.	क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद की उपलब्धियाँ क्षेत्र में तैनात-स्थानान्तरित अधिकारियों की स्थिति	समन्वय शाखा प्रशासन शाखा	60

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

संरक्षक की कलम से...

**"डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है,
जा–जाकर खाली हाथ लौट आता है,
मिलें न मोती उसे, सहज ही गहरे पानी में,
बढ़ता हुआ उसका उत्साह इसी हैरानी में,
मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।"**

रत्नेश कुमार गौतम
अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक

उक्त पंक्तियों के संदर्भ में यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो लोग कोशिश करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। यदि बिना धैर्य खोए किसी कार्य को करने की निरंतर कोशिश की जाए , तो उसमें सफलता अवश्यमेव मिलती है। मनुष्य की छोटी–छोटी कोशिशें ही एक दिन किसी बड़े आविष्कार को जन्म देती हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत श्रीमती भाविना पटेल का जीवन, प्रेरणा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक वर्ष की उम्र में जो बच्ची 90% तक निःशक्त हो जाए और आज 34 वर्ष की उम्र में पूरे विश्व में अपना परचम लहराए, यह एक उद्देश्य को लेकर लगातार परिश्रम का ही फल है। इसीलिए हम आज जो कुछ करना चाहते हैं अथवा स्वयं कुछ बनना चाहते हैं, तो हमें उस दिशा में निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए।

'अक्षर यात्रा' पत्रिका के 23 वें अंक का प्रकाशन भी राजभाषा हिंदी की प्रगति और प्रचार–प्रसार के मार्ग में एक आधारभूत प्रयास है। 'अक्षर यात्रा' पत्रिका में क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद के कार्यकलाप से संबंधित सामग्री तथा यहाँ के कार्मिकों की स्वरचित कविता, कहानी, निबंध तथा संस्मरण आदि रचनाएँ प्रकाशित हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणीय संगठन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं में राजभाषा हिंदी का अपना अलग महत्व है। यह योजनाओं के प्रचार–प्रसार का सुलभ एवं श्रेष्ठ माध्यम है। विभिन्न हितलाभों की जानकारी आमजन तक पहुँचाना हो या कामगारों से पत्राचार का माध्यम, सामाजिक सुरक्षा के प्रशंसनीय और परमकल्याणकारी कार्य में हिंदी सबसे सहज है। यह पत्रिका ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित करने की एक कोशिश है, जो राजभाषा हिंदी में स्वरचित रचनाओं के माध्यम से स्वयं को सहज रूप में अभिव्यक्त करना चाहते हैं और आम जनमानस तक जुड़ने के अपने नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य को निभाकर सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य को साधने में सदैव तत्पर रहते हैं। इस उत्तम एवं उत्कृष्ट प्रयास के लिए क.रा.बी.निगम गुजरात क्षेत्र के सभी कार्मिक साधुवाद एवं बधाई के पात्र हैं।

दो दशक के सफल कारवां को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित गृह राजभाषा पत्रिका 'अक्षर यात्रा' के 23वें अंक को सभी पाठक एवं सुधीजनों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह अंक आपको पसंद आएगा। इस पत्रिका के संबंध में सभी जनों या पाठकों के विचार सादर आमंत्रित हैं। आपके विचार हमें 'अक्षर यात्रा' के अगले अंक को और अधिक परिष्कृत करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होंगे। सभी पाठकगणों का पुनः अभिनन्दन।

राजभाषा प्रभारी की कलम से...

कमल कान्त मीना
सहायक निदेशक (प्र.रा.भा.)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में अनेक प्रोत्साहन योजनाएं प्रचलन में हैं जिससे सरकार की राजभाषा नीति को कारगर ढंग से लागू करने में प्रेरणा और प्रोत्साहन मिल रहा है। इसी श्रृंखला में विभागीय हिंदी पत्रिका का प्रकाशन भी जुडा है। गुजरात क्षेत्र से अनवरत रूप से प्रकाशित की जा रही गृह पत्रिका 'अक्षर यात्रा' का यह 23वाँ पड़ाव आपके सम्मुख है। यद्यपि मैं इस पड़ाव का नया पथिक हूं फिर भी मैंने 'अक्षर यात्रा' के पिछले पड़ावों का आनंद महसूस किया है। अपनी कल्पना को लेखन प्रतिभा के माध्यम से अभिव्यक्त करना एक अनोखी कला है। शब्दों से अविभूत होकर हम कभी रमणीय, शीतल–मन्द आनंद–दायिनी समीर, तो कभी झर–झर झरते झरनों का आनंद महसूस करते हैं, तो कभी हरे–भरे वन में कोयल की कुह–कुह की मधुर ध्वनी से साक्षात्कार करते हुए आनंन्दित हो उठते हैं। शब्दों के माध्यम से हमें बादलों की गड़गड़ाहट और बादलों के बीच चमकती हुई बिजली की चम–चम ऐसी प्रतीत होती है जैसे घने अंधकार में दो महायोद्धाओं में युद्ध चल रहा हो और कभी वर्षा ऋतु को ठंडी फुहारों और घटाओं के घटने की अनुभूति होने लगती है। घर बैठे ही हमें नदी, तालाब, कमल, पपीहा मोर आदि के गुंजायमान के सुरीले स्वर की प्रतीति होने लगती है। शब्दों की अभिव्यक्ति के कारण ही हम कभी ढोल, नगाड़ों के जोश में थिरकने लगते हैं, मीरा, शबरी, तुलसी और सूर के भक्ति–सागर में डुबकी लगाने लगते हैं। यह शब्द अर्थात अक्षरों का ही रहस्य है जो विभिन्न प्रकार से वाणी वादन करते हैं। शब्द वाण से भी अधिक मारक क्षमता रखते हैं जिनके साधने से अग्नि भी उत्पन्न हो सकती है और शीतल धारा भी प्रवाहित हो सकती है।

'अक्षर यात्रा' ने विगत 22 वर्षों में सामाजिक समरसता और सदभाव की अनुपम, अनुकरणीय और अनुसरणीय लम्बी यात्रा तय की है। इस क्षेत्र के सभी श्रेणी के कार्मिकों ने अपने सामुहिक प्रयासों से उत्साह और निष्ठा से 'अक्षर यात्रा' पत्रिका के सृजन में अपना योगदान दिया है। पत्रिका को नित नया रूप देने में समर्पण भाव इसका परिचायक है जो इसे समृद्धि के शिखर तक संवर्धन के लिए उद्दत है।

'अक्षर यात्रा' विचारों की अभिव्यक्ति को साकार करने के लिए एक मंच सुलभ कराती है। इससे सरकार की राजभाषा नीति तथा सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि पाठकों को प्रस्तुत यह सृजन रुचिकर एवं सार्थक लगेगा। पत्रिका में समाहित रचनाओं के लिए मैं इसके रचनाकारों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आशा है कि पत्रिका प्रतिवर्ष नूतन अंक में प्रवेश करेगी। साथ ही मैं किसी भी प्रकार के सुझावों की आकांक्षा भी करता हूँ।

संपादक की कलम से...

कमल राम प्रजापत
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद द्वारा विगत दो दशकों से लगातार हिंदी गृह पत्रिका 'अक्षर यात्रा' का प्रकाशन किया जाना निःसंदेह गुजरात क्षेत्र में तैनात कार्मिकों के हिंदी प्रेम को प्रतिबिंबित करता है। पत्रिका के प्रकाशन से जहाँ एक ओर राजभाषा के प्रचार–प्रसार को बल मिलता है, वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों की रचनात्मक अभिरूचियों को उजागर करने के लिए एक उचित एवं स्वस्थ मंच मिलता है और उनकी भाषा–शैली भी सशक्त होती है।

संघ की राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन हम सभी का संवैधानिक दायित्व है और राजभाषा के विकास एवं प्रचार–प्रसार के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। छोटे–छोटे प्रयासों से ही एक वृहद लक्ष्य प्राप्ति की राह प्रशस्त होती जाती है। राजभाषा की उन्नति के लिए कार्यालयीन कार्य में छोटे–छोटे किन्तु प्रभावी कदमों से शुरुआत करनी होती है। राजभाषा गृह पत्रिका इसका उत्तम एवं सर्वसुलभ माध्यम है। इसके अतिरिक्त कार्यालयीन कामकाज के दौरान गूढ़ एवं कठिन हिंदी शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। ताकि प्रत्येक कार्मिक राजभाषा से जुड़ सके और इसके अधिकाधिक प्रयोग में वृद्धि हो व समझने में भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

राजभाषा के प्रचार–प्रसार में योगदान देने एवं क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद में तैनात सभी कार्मिकों की सृजनात्मक प्रतिभा को बल देने के उद्देश्य से गृह राजभाषा पत्रिका 'अक्षर यात्रा' का निरन्तर प्रकाशन किये जाने के क्रम में 23 वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस अंक को साकार रूप देने का श्रेय प्रमुखतः क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद के कार्यालय प्रमुख श्री रत्नेश कुमार गौतम, अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक को जाता है, जिनकी प्रेरणा एवं कुशल मार्गदर्शन में यह अंक प्रकाशित हुआ है। पत्रिका को और अधिक सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठकों की प्रतिक्रियाएं हमारी प्रेरणा का स्त्रोत हैं। आपके बहुमूल्य सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं का स्वागत है।

धन्यवाद।

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, **Govt. of India**)

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002
Tel. : 011-23215487
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

मुखमीत सिंह भाटिया
महानिदेशक

सं. ए–49/17/1/2016–रा.भा.
दिनांक: 29/11/2021

<u>संदेश</u>

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद अपनी गृह पत्रिका 'अक्षर यात्रा' के 23वें अंक का प्रकाशन कर रहा है। गृह पत्रिका का प्रकाशन भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है और राजभाषा के प्रति संवैधानिक कर्तव्यों का पूरी सजगता से अनुपालन का द्योतक है। आशा है कि गृह पत्रिका अक्षर यात्रा द्वारा प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति से कार्मिकों में राजभाषा हिंदी में कार्य करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।

शुभकामनाओं सहित,

मु. भाटिया
29/11/21
(मुखमीत सिंह भाटिया)

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002
Tel. : 011-23215487
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

हेमन्त जैन
वित्त आयुक्त

सं. ए-49/17/2/2016-रा.भा.
दिनांक: 25/11/2021

संदेश

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद अपनी गृह पत्रिका 'अक्षर यात्रा' के 23वें अंक का प्रकाशन कर रहा है। राजभाषा के प्रयोग एवं प्रचार–प्रसार हेतु कार्मिकों को प्रोत्साहित करने में इसका विशेष योगदान रहता है। राजभाषा हिंदी का प्रयोग निश्चित ही सामाजिक सुरक्षा को गति देने का माध्यम है। आशा है यह प्रयास राजभाषा नीति और सामाजिक सुरक्षा के कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित,

हेमन्त जैन
(हेमन्त जैन)

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, **Govt. of India**)

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002
Tel. : 011-23215487
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

डॉ. आर. के. कटारिया
चिकित्सा आयुक्त

सं. ए–49/17/3/2016–रा.भा.
दिनांक: 24/11/2021

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद अपनी गृह पत्रिका 'अक्षर यात्रा' के 23वें अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। यह क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के कार्मिकों के राजभाषा हिंदी के प्रति सम्मान और समर्पण को प्रदर्शित करता है। राजभाषा के प्रचार–प्रसार में यह गृह पत्रिका उत्प्रेरक ज्ञान–वृद्धि का काम करती है। आशा है यह अंक राजभाषा के विकास में सहायक सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित,

(डॉ. आर. के. कटारिया)

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, **Govt. of India)**

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002
Tel. : 011-23215487
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

मनोज कुमार शर्मा
बीमा आयुक्त (राजभाषा)

सं. ए–49/17/1/2016–रा.भा.
दिनांक: 24/11/2021

संदेश

यह अति हर्ष का विषय है कि क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद द्वारा अपनी गृह पत्रिका 'अक्षर यात्रा' के 23वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। राजभाषा हिंदी में अधिकतम कार्य निष्पादन करने की दिशा में गृह पत्रिका का स्थान अति महत्वपूर्ण है। किसी भी भाषा के विकास और उसके प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रमुख साधन साहित्य होता है। आशा है इस प्रयास से राजभाषा हिंदी के प्रयोग में सकारात्मक वृद्धि होगी।

शुभकामनाओं सहित,

(मनोज कुमार शर्मा)

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

गुजरात का गौरव, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सम्मान: भाविना पटेल

विजयिता सिन्हा
कार्यालय अधीक्षक

29 अगस्त 2021 की सुबह 7:30 बजे का समय टोकियो ओलंपिक 2020 में भारत के शानदार प्रदर्शन के बाद पैरालंपिक खेलों का वह क्षण, जो भारत के लिए पुनः स्वर्णिम साबित हो सकता था। तमाम खेल प्रेमी टेलिविजन पर नजर गढ़ाए और अंतर्मन में भारत की जीत के लिए प्रार्थना में हाथ जोड़े बैठे थे। आज क्लास 4 वर्ग के टेबल टेनिस का फाइनल मैच विश्व की नं.12 खिलाड़ी भारत की श्रीमती भाविना पटेल, जिसने सेमीफाइनल में विश्व रेंकिंग में तीसरे नंबर की चीनी खिलाड़ी को मात दी थी, का मुकाबला विश्व की नं.1 खिलाडी चीन की झोउयिंग के बीच था। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस होने के कारण यह दिन यूँ भी महत्वपूर्ण था। 19 मिनट तक चले इस खिताबी मुकाबले में हालांकि भाविना पटेल 0–3 से हार गई, परन्तु बावजूद इसके उन्होंने इतिहास रच दिया। भारत को टोकियो पैरालम्पिक 2020 में मेडल दिलाने वाली वह पहली खिलाड़ी बन गईं। भाविना पटेल से पहले भारत का कोई भी खिलाड़ी पैरालंपिक खेलों के इतिहास में टेबल टेनिस के क्वार्टरफाइनल से आगे का सफर तय करने में कामयाब नहीं हो पाया था।

ई.एस.आई.सी., अहमदाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय के राजस्व वसूली प्रकोष्ठ में सहायक के पद पर कार्यरत 'भाविना पटेल' जो कुछ दिनों पहले तक पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों की लिस्ट में महज एक नाम था, आज यह नाम पूरे देश की शान है। क्लास–4 की पैरा एथलीट भाविना, जिसे गरीबी और लापरवाही ने व्हीलचेयर तक सीमित कर दिया था, अपने इरादों और हिम्मत के दम पर ऐसी उड़ान भरी कि आज पूरा देश ही नहीं, बल्कि दुनिया उन्हें सिर उठाकर देख रही है।

6 नवंबर, 1986 को गुजरात के महेसाणा जिले के वडनगर के एक छोटे से गाँव में जन्मी भाविना जब केवल एक साल की थी, तभी उनके पिता को पता चला कि उनकी बेटी को पोलियो है। उस समय उनके पिता श्री हंसमुखभाई पटेल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पाँच सदस्यीय परिवार के पालन हेतु वे एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि बेटी का इलाज करवा सकें। हालांकि भाविना जब चौथी कक्षा में पहुँची तो उनके पिता ने विशाखापट्टनम में उनकी सर्जरी करवाई। परन्तु जरूरी कसरत और डाइट में हुई लापरवाही के कारण वह हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर बैठने को मजबूर हो गईं। इसी संघर्ष के साथ भाविना ने अपने गाँव में रहकर 12 वीं तक की पढ़ाई पूरी की।

अखबार में मिली जानकारी के आधार पर वर्ष 2004 में भाविना के पिता ने उन्हें अहमदाबाद में दृष्टिहीन लोगों के लिए बनाए गए एक संगठन में ले गए। भाविना ने यहाँ कम्प्यूटर कोर्स किया और गुजरात युनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसी संगठन के कोच श्री लालन दोषी भाविना को खेल की दुनिया में ले आए। भाविना ने प्रारंभ में शौक के तौर पर और खुद को फिट रखने के लिए टेबल टेनिस खेलना शुरु किया था, परन्तु बाद में अपने शौक को गंभीरता से लेना शुरु कर दिया। यह संगठन भाविना को आर्थिक तौर पर मदद करने लगा।

तीन साल के कठिन परिश्रम के बाद वर्ष 2007 में बेंगलूरु में अपना पहला नेशनल गोल्ड मेडल जीतने के बाद भाविना ने जुनून के साथ टेबल-टेनिस खेलना शुरु किया। एक सफल राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के बाद अब उनका सपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नेतृत्व करना और देश के लिए मेडल जीतना था। उनकी टेबल टेनिस की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जोर्डन से शुरू हुई। हालांकि यहाँ वह भारत को कोई पदक नहीं दिला पाईं, परन्तु अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेना और उन्हें जीतने के लिए कड़ी मेहनत का सफर जारी रखा।

साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भाविना ने हिस्सा लिया और क्वार्टर फाइनल तक खेला। 2011 से उनकी सफलता का दौर प्रारंभ हुआ जब पैरा टेबल टेनिस थाईलैंड ओपन में उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। वर्ष 2013 में उन्होंने एशियन रिजनल चैम्पियनशिप में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। तीसरे एशियन पैरागेम्स में डबल्स इवेंट में सिल्वर मेडल लाकर उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया। जोर्डन, ताईवान, चीन, कोरिया, जर्मनी, ब्राजील (रियो), इंडोनेशिया, स्लोवेनिया, थाईलैंड (बेंकॉक), स्पेन, नेदरलैंड, मिस्र आदि देशों के टूर्नामेंट में भाग लेकर उन्होंने अपने खेल की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा निरंतर जारी रखी। उनकी मेहनत रंग लाई और 2019 में बैंकॉक में उन्हें पहला गोल्ड मेडल मिला। टोकियो पैरालंपिक्स 2020 के पहले तक भाविना पटेल ने 28 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्टो में 5 स्वर्ण, 13 रजत तथा 8 कांस्य पदक जीते हैं।

इन अंतर्राष्ट्रीय मैचों की जीत के साथ ही इस समर्पित खिलाड़ी के मन में पैरालंपिक खेलों में जीत हासिल करने का सपना बुनने लगा था। 2016 के रियो पैरालंपिक में चयन होने के साथ ही उन्हें अपना सपना साकार होता दिखा। परन्तु कुछ तकनीकी कारणों से वे उस खेल में हिस्सा नहीं ले सकीं। सच ही कहा गया है – "एक खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता।" उसने भी कभी हार नहीं मानी और पुनः उसका चयन टोकियो पैरालंपिक 2020 के लिए हुआ। वे टेबल टेनिस के सिंगल मुकाबले के लिए चयनित देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी और उन्होंने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया।

श्रीमती भाविना पटेल की क.रा.बी.निगम की यात्रा भी बहुत रोचक है। वर्ष 2016 में निगम के उत्कृष्ट खिलाड़ीयों की भर्ती हेतु इनडोर खेलों के खिलाड़ियों का परीक्षण अंधेरी (मुंबई) स्पोर्ट्स कोम्प्लेक्स में होना सुनिश्चित हुआ था। प्रतिभागी क्रमानुसार अपना परीक्षण दे रहे थे। परंतु एक लड़की और उसकी माँ एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे। पूछताछ पर पता चला कि उसका ट्रायल, जो चयन के लिए अनिवार्य था, नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसकी श्रेणी में कोई उम्मीदवार ही नहीं था, जिसके खिलाफ वह खेल सके। उसका चयन संदिग्ध था क्योंकि परीक्षण अनिवार्य था। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने उस लड़की से बात की और उसके सभी सर्टिफिकेट की जाँच की, जो वास्तव में उत्कृष्ट थे। लड़की से पूछा गया कि क्या वह किसी पुरूष उम्मीदवार के खिलाफ खेल सकती हैं? अचानक उसकी आँखो में चमक आ गई। उसने वहीं बेठे 5-6 पुरुष पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों की ओर चुनौतीपूर्ण लहजे में बोला – "सर, उनमें से कोई भी।" कहने की जरूरत नहीं कि लड़की ने अपनी काबिलियत साबित की और अधिकारियों ने उसके चयन की सिफारिश का समर्थन किया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि टोकियो पैरालंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट भाविना पटेल ही थीं। श्रीमती भाविना पटेल को दिनांक 13/10/2016 को तत्कालीन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा उ.श्रे.लि. के पद हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

वर्ष 2017 में भाविना पटेल ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी श्री निकुल पटेल से प्रेम-विवाह किया। निकुल पटेल शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ एवं सामान्य व्यक्ति हैं। चूँकि वे स्वयं खिलाड़ी रह चुके हैं, इसलिए एक खिलाड़ी की गरिमा को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने भाविना को और आगे बढ़ने में हर तरह से सहयोग दिया है जो उनके खेल-प्रदर्शनों से परिलक्षित होता है।

क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में कार्यरत रहते हुए श्रीमती भाविना पटेल ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटो में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीते। तृतीय एशियन गेम्स 2018 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शनों को देखते हुए उन्हें दिनांक 13/10/2018 को "आउट ऑफ टर्न" प्रोमोशन देते हुए निगम द्वारा उन्हें सहायक के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान की गई। मार्च 2019 में इंदौर में आयोजित दूसरे पैरा टेबल टेनिस राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने पर दिनांक 01/04/2019 को एक स्पेशल वेतनवृद्धि दी गई तथा अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित तीसरे एशियन पैरा गेम्स में रजत पदक हासिल करने पर दिनांक 01/11/2018 को दो विशेष वेतनवृद्धि प्रदान की गईं।

पैरालंपिक खेल में चयन एवं बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक विशेष प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु श्रीमती भाविना पटेल को तमिलनाडु भेजा गया। टोकियो पैरालंपिक में चयन होते ही गहन अभ्यास के लिए उन्हें दिनांक 01/01/2021 से 05/09/2021 तक कार्यालय से अनुमति दी गई। भाविना पटेल को ये सुविधाएँ उपलब्ध करवाने में गुजरात क्षेत्र के अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक श्री रत्नेश कुमार गौतम का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

भाविना पटेल की जीत पर आज जहाँ पूरा देश खुशी से झूम रहा है, वहीं एसिक परिवार भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भाविना पटेल की पैरालंपिक यात्रा अभी अपने मुकाम पर नहीं पहुंची है। उनका सपना उसमें गोल्ड मेडल लाने का है और उनकी कर्मठता और खेल के प्रति उनका समर्पण यह सुनिश्चित करता है कि अगले पैरालंपिक में टेबल टेनिस का स्वर्ण पदक श्रीमती भाविना पटेल के नाम ही होगा।

भाविना पटेल के अलावा जापान की राजधानी टोकियो में संपन्न पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन में भारत को प्रथम स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी श्री प्रमोद भगत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दूसरे दैदीप्यमान सितारे हैं। उड़ीसा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत श्री प्रमोद भगत ने 4 सितम्बर 2021 को बैडमिंटन पुरूष एकल एसएल–3 में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर स्वर्ण पदक जीत एक नया इतिहास रचा है।

प्रमोद भगत एक पैरा बैडमिन्टन खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 4 जून 1988 को बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम कैलाश भगत एवं माताजी का नाम कुसुम देवी है। प्रमोद भगत जब 5 वर्ष के थे तब इनके बांए पैर में पोलियो हो गया था। जिसके इलाज के लिए वे सपरिवार उड़ीसा चले गए और वहीं बस गए। 13 वर्ष की उम्र में वे एक बार बैडमिंटन का मैच देखने गये थे। मैच देखकर वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने खेल में अपना करियर बनाने का मन बना लिया। प्रमोद ने अपना पहला मैच तब खेला जब वो मात्र 15 वर्ष के थे।

पैरा बैडमिन्टन पुरुष एकल एसएल–3 में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी प्रमोद भगत ने अब तक के खेल करियर में बहुत से मैडल हासिल किए हैं। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में चार स्वर्ण समेत 45 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में पिछले आठ वर्ष में उन्होंने दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। 2018 पैरा एशियाई खेलों में उन्होंने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता।

खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रमोद को साल 2019 में अर्जुन पुरस्कार एवं उड़ीसा के बीजू पटनायक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।

भाविना पटेल एवं प्रमोद भगत ने अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है और उन पर विजय प्राप्त कर आज शीर्ष स्थान हासिल किया है। हमें उम्मीद है कि आगे भी वे नई बुलंदियों को छूएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।

कृषि श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

रत्नेश कुमार गौतम
अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक

आजादी के आसपास के वर्ष

द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भावी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के व्यावसायिक पक्ष पर चर्चा के दौरान गांधीजी ने कहा कि कार्मिक, जो अधिकांशतः निम्न वर्ग से आते थे, तथा उस समय कथित उच्च वर्ग एवं राज्य की कृपा पर जीवित रहते थे और इनकी परिस्थितियों को समान करने के लिए विधायिका का प्रथम अधिनियम जो लाया जाए वह इन लोगों को जमीन प्रदान करने के लिए होना चाहिए, इसका मूल्य यूरोपियनों सहित धनिक वर्ग से आना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा के संबंध में स्वतंत्र भारत के शुरुआती अधिनियमितियों में से एक 1948 का ईएसआई अधिनियम था। ईएसआई अधिनियम की धारा 1(5) इस अधिनियम द्वारा किसी भी ऐसे प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों के विस्तार के लिए अधिकृत करती है, जो औद्योगिक, वाणिज्यिक या कृषि या अन्य से संबंधित हो सकता है। स्वतंत्रता के समय भारत के नीति निर्माताओं और स्वप्नदृष्टाओं की मंशा बहुत स्पष्ट थी। उन सभी ने कल्पना की थी कि सभी प्रकार के मजदूरों, किसानों, कृषि श्रमिकों, औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पिछले 70 वर्षों के दौरान किसानों और कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के इस दृष्टिकोण को हम कुछ हद तक खो चुके हैं।

सामाजिक सुरक्षा

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) सामाजिक सुरक्षा को उस सुरक्षा के रूप में परिभाषित करता है, जो एक व्यक्ति को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने और आय सुरक्षा की गारंटी देने के लिए व्यक्तियों, परिवारों को विशेष रूप से बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, निःशक्तता, काम की चोट, मातृत्व या एक रोटी कमाने वाले की हानि के समय, प्रदान करता है। भारत में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों या हमारी आबादी के विभिन्न वर्गों को ऐसी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए 600 से अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं या कार्यक्रम हैं। लेकिन किसानों और कृषि श्रमिकों को ऐसे लाभ प्रदान करने के लिए बहुत कम योजनाएं हैं, विशेष रूप से विकलांगता, रोजगार की चोट, मृत्यु, स्वास्थ्य आदि से संबंधित हितलाभ देने वाले।

कृषि क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

किसानों और कृषि श्रमिकों को बीमारी, विकलांगता, रोजगार की चोट और बेरोजगारी के समय में सामाजिक सुरक्षा हितलाभों की बहुत आवश्यकता है। हालांकि, खेती के क्षेत्र में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का अंतर बहुत कम है। कई बार, किसान स्वयं नियोक्ता होता है और एक कृषि–कार्मिक भी होता है। यहां तक कि, अगर मध्य–स्तर का किसान चार–पांच कृषि श्रमिकों को काम पर लगाता है, तो स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों को अपने खेतों में अन्य कृषि श्रमिकों के साथ काम करना पड़ता है। इसलिए किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप ईएसआई और ईपीएफ जैसी योजनाओं को शुरू करने की आवश्यकता है। ईएसआई अधिनियम और ईपीएफ अधिनियम में 'नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध' की आवश्यकता होती है, लेकिन खेती के क्षेत्र में नियोक्ता और कर्मचारी का इतना स्पष्ट संबंध नहीं है।

इसके अलावा, ग्रामीण और कृषि श्रमिकों के लिए कोई नियत रोजगार का आश्वासन नहीं है। ऐसे समय में, मनरेगा (एम.जी.एन.आर.इ.जी.ए.) जैसी योजनाएं बचाव में आते हैं। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिभाषित परिवार के कम से कम एक सदस्य को सौ दिन का रोजगार, सुनिश्चित करता है। इस तरह, इस मजदूरी सुरक्षा योजना द्वारा बेरोजगारी की आकस्मिकता को थोड़ा सीमित किया गया है। वर्तमान महामारी की स्थिति के दौरान, चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत पूरे देश में 76800 करोड़ रुपये के भुगतान किए गए हैं, जिससे इस तरह के रोजगार में 243% की वृद्धि हुई है।

ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजना को कैसे वित्तपोषित किया जाना चाहिए

आम तौर पर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली दुनियाभर में नियोक्ताओं, कर्मचारियों और कुछ हद तक सरकार के योगदान से वित्तपोषित होती है। भारत में ईएसआई और ईपीएफ जैसी अधिकांश सफल योजनाएं नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा योगदान से ही चलती हैं। जैसा कि व्यापक रूप से माना जाता है कि भारत में, खेती क्षेत्र को बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है। उज्जवल कुमार कृषि उत्पादों, विपणन और व्यापार नीतियों के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नीति विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने खुद एक किसान के रूप में व्यावहारिक रूप से काम किया है। वह कहते हैं – "वर्तमान में वह ऋणात्मक सब्सिडी में है, अर्थात किसान भारतीय उपभोक्ताओं को खिलाने के लिए अपनी जेब से भुगतान कर रहे हैं। यह एक ओईसीडी–आईसीआरआईईआर अध्ययन में सामने आया, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा, एक आरोप का मुकाबला करने के लिए कि यह बहुत अधिक सब्सिडी देता है, डब्ल्यूटीओ में इस्तेमाल किया गया था। यह एक मिथक है कि किसानों को सब्सिडी दी जाती है।" इसलिए, यह हमारा कर्तव्य बनता है कि सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित कृषि श्रमिकों के लिए एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना होनी चाहिए।

वर्तमान में योजनाएं और पहल

भारत में विभिन्न राज्यों में कृषि क्षेत्र के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ हैं। गुजरात सरकार ने आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में पंजीकृत किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए 26 जनवरी, 1996 से किसान दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा 100% प्रायोजित है। यह योजना गुजरात सामुदायिक समूह–जनता दुर्घटना बीमा योजना के तहत लागू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत किसान के उत्तराधिकारी की सहायता करना है, जिसमें पंजीकृत किसान के सभी बच्चों (पुत्र/पुत्री) और दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के मामले में पंजीकृत किसान के पति/पत्नी शामिल हैं।

महाराष्ट्र सरकार 24 नवंबर, 2015 से एक योजना चला रही है, जिसका नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपीनाथ मुंडे के नाम पर रखा गया है। गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना राज्य के किसानों के लिए है, जो आकस्मिक मृत्यु के शिकार हैं या जो दुर्घटना की वजह से विकलांग हो गए हैं। 10–75 वर्ष की आयु वर्ग के किसान जिनके नाम 7/12 भूमि अर्क पर पंजीकृत किए गए हैं, गोपीनाथ मुंडे योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। दुर्घटनाओं में पशुओं के हमलों, नक्सली हमलों, हत्या, बिजली के झटके आदि के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता को रु.2 लाख से कवर किया गया है। आंशिक विकलांगता की भरपाई रु.1 लाख से की जाती है। केरल सरकार के पास भी कृषि श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो एक तरफ पेंशन और दूसरी तरफ दुर्घटना से संबंधित लाभ और बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में हितलाभ प्रदान करती है। इसी तरह, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य भी ऐसी किसान दुर्घटना बीमा योजनाएं चला रहे हैं।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.–किसान) खेतीहर किसानों के लिए एक प्रत्यक्ष हस्तांतरण आय आश्वासन योजना लागू की है। इस योजना के तहत रु.6,000/– प्रति वर्ष की राशि, किसानों के बैंक खातों में सीधे रु.2000/– की तीन चौ–मासिक किस्तों में हस्तांतरित की जाती है। यह योजना, जो 24.02.2019 को शुरू की गई थी, शुरुआत में लघु और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए शुरू की गई थी, जिसमें कुल 2 हेक्टेयर तक की भूमि की पात्रता थी। सरकार ने इस योजना की समीक्षा की और सभी किसानों को इसके दायरे में ला दिया, चाहे उनकी जमीन जोतने के आकार, कितनी भी हो। देशभर में पी.एम.–किसान योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है।

इसके अलावा, सरकार ने 12.09.2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम–केएमवाई) की शुरूआत की, जो कि वृद्धावस्था में लघु और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से है, जब उनके पास आजीविका और काम के साधन नहीं हैं या कोई बचत नहीं है, उनके खर्चों की देखभाल के लिए। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर कुछ विशेष छूट मानदंडों के अधीन, लघु और सीमांत किसानों को रु.30,000/– की न्यूनतम निश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है,

जिसकी प्रवेश पात्रता आयु 18 से 40 वर्ष है। किसान को प्रवेश आयु के आधार पर पेंशन फंड में प्रति माह 55 से 200 रुपये का योगदान करना आवश्यक है। केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में समान राशि का योगदान करती है। पेंशन फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) द्वारा किया जा रहा है। 11.03.2020 तक 19,97,553 किसानों ने इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया था।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जैसे पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं को एकीकृत करके व बेहतर करते हुए, भारत सरकार ने 2016 में, प्रधानमंत्री बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.आई.) शुरू की। फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएफबीवाई को संशोधित करने की मंजूरी दी। मौजूदा मापदंडों में संशोधन के बाद योजना को किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। खरीफ 2020 सीजन के बाद से संशोधित मानकों को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। यह योजना किसानों के फसल बीमा के लिए है। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, वन नेशन – वन स्कीम थीम के अनुरूप भारत में कृषि बीमा के लिए सरकार की प्रमुख योजना है। वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें, तिलहन और खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा, और दलहन) इस योजना के अंतर्गत आती है। इस योजना का संचालन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उपज के सतत उत्पादन के लिए सहायता प्रदान करता है। अप्रत्याशित आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान और क्षति के कारण संकट में पडे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों की आय उनके लिए स्थिर रहे ताकि वे अपनी खेती की गतिविधियों को जारी रख सकें यह किसानों को कुशल और उच्च उपज वाली खेती के लिए आधुनिक उपकरणों और कृषि प्रथाओं को अपनाने और उपयोग करने के लिए बढ़ावा भी देता है। यह कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करता है जो खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण में योगदान देता है, और उत्पादन के जोखिम से किसानों की रक्षा करने के अलावा कृषि क्षेत्र में वृद्धि और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है।

भविष्य के लिए आदर्श स्थिति

आदर्श स्थिति कृषि क्षेत्र के सभी श्रमिकों के साथ–साथ स्वयं किसानों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम होगा। इस तरह के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में, आई.एल.ओ. द्वारा गणना की गई सभी आकस्मिकताओं को शामिल किया जाना चाहिए, जो मृत्यु, विकलांगता, बीमारी, स्वास्थ्य, रोजगार की चोट और बेरोजगारी है। इस तरह के कार्यक्रम में अंतिम चरण तक सामाजिक सुरक्षा के लाभों के प्रसार के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक बुनियादी ढाँचा होना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के कार्यालय से अलग होना चाहिए जो खुद इतने सारे अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के बोझ से अधिक प्रभावित हैं। इस आदर्श स्थिति के लिए 'सामाजिक संरक्षण' का पूरा पैकेज प्रदान करना चाहिए जैसा कि ईएसआई योजना और भविष्य निधि योजना द्वारा औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रमिक वर्ग को प्रदान किया जाता है, ताकि कृषक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को उनके जीवन में आने वाले आकस्मिकताओं के समय खुद के ऊपर न छोड़ना पड़े।

(लेखक रत्नेश गौतम, ईएसआईसी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार में अपर आयुक्त हैं। मत व्यक्तिगत हैं।)

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

समन्वय - प्रबंधन का सार

राज के. सिंह
उप निदेशक

प्रबंधन प्रक्रिया में समन्वय का श्रीगणेश नियोजन से ही प्रारंभ हो जाता है। नियोजन के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों, नीतियों, बजट, विधियों, कार्यक्रमों, रीति-नीतियों आदि का निर्धारण किया जाता है और, ये कार्य समन्वय से ही किया जाता है। अतः "समन्वय" प्रबंधन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाते हुए निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति का मूल है।

समन्वय की आवश्यकता

जहाँ भी अलग-अलग व्यक्ति, व्यक्ति समूह, उद्देश्य, क्रिया होगी, वहाँ समन्वय की आवश्यकता होती है। औद्योगिक संगठन हो या कार्यालय या फिर सामूहिक स्थल/प्रस्तुति/आयोजन, हर जगह में इसका विशेष महत्व होता है। जिस तरह एक अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया गया आर्केस्ट्रा श्रोताओं एवं दर्शकों को बहुत प्रभावित करता है, उसके पीछे सफलता का रहस्य समन्वय ही होता है। क्योंकि उनका मास्टर विभिन्न कलाकारों की क्रियाओं में समन्वय करता है तभी अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत हो पाता है।

यही बात प्रबन्ध के क्षेत्रों में भी लागू होती है। हालांकि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा समन्वय प्रबन्ध के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण एवं कारगर होता है। इसकी वजह, इस क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं सामूहिक उद्देश्यों, विभिन्न विभागों, अनेक क्रियाओं में समन्वय करना पड़ता है। इस तरह किसी भी संगठन में समन्वय की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है।

1. श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण: वर्तमान युग श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का है, जिसके परिणामस्वरूप एक मुख्य क्रिया को अनेक छोटी-छोटी उपक्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक उपक्रियाओं को अलग-अलग व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों को सौंपा जाता है। जो कि उस क्रिया के विशेषज्ञ होते हैं। जिससे अधिकतम कार्यकुशलता का लाभ उठाया जा सके। जहाँ एक ओर हम श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर समन्वय की कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति उसी कार्य में दक्ष हो जाता है जिसे वह निरन्तर कर रहा है और वह अपने आप को कुल कार्य के साथ नहीं जोड़ पाता। अतः इस दोष को दूर करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है।

2. विभिन्न विभागों का अर्थ स्वतंत्र अस्तित्व: वर्तमान युग, बड़े पैमाने के उत्पादन जोकि उत्पाद एवं सेवा से सम्बंधित है, का युग है। इस तरह संगठन का आकार बहुत अधिक बड़ा होता है तथा इनमें अनेक विभाग होते हैं। साथ ही विकेन्द्रीयकरण की प्रक्रिया के कारण इन विभागों को अनेक विषयों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता के कारण ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि एक विभाग के द्वारा लिए गए निर्णय, दूसरे विभागों के कार्यों, हितों एवं नीतियों से तथा संगठन के हितों से तालमेल नहीं खाते। अतः समन्वय की आवश्यकता पड़ती है।

3. संगठन में मानवीय तत्व: प्रत्येक संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं और प्रबन्धकों को इन कर्मचारियों से काम लेना होता है। मानव स्वभाव प्राकृतिक रूप से ही बड़ा परिवर्तनशील, चंचल एवं विषम है, जो कि अनेक बार संगठनात्मक उद्देश्यों से हटकर भी कार्य करने लग जाता है। जिसका प्रभाव उसके कार्यों पर पड़ता है। अतः वहाँ समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। समन्वय की आवश्यकता का एक अन्य कारण यह है कि समन्वय में विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग मात्रा में अधिकार सौंपे जाते हैं। जिन व्यक्तियों को कम अधिकार मिलते हैं, उनका अनेक बार अपने उच्च अधिकारियों से मनमुटाव चलता है। अतः इसे दूर करने के लिए भी समन्वय की आवश्यकता होती है।

समन्वय के प्रकार

1. आंतरिक और बाह्य:

आंतरिक समन्वय का नाता एक संगठन में काम कर रहे व्यक्तियों की व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाने से है। इसे कार्यात्मक समन्वय के रूप में भी जाना जाता है। बाह्य समन्वय का सरोकार विभिन्न सांगठनिक इकाईयों की गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाने से है। इसे संरचनात्मक समन्वय के रुप में भी जाना जाता है।

2. उध्र्वाधर और क्षैतिजः

उध्र्वाधर तालमेल का नाता एक खंड और दूसरे खंड, एक शाखा और दूसरी शाखा, एक प्रभाग और दूसरे प्रभाग या एक विभाग और दूसरे विभाग की गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाने से है। क्षैतिज समन्वय का सरोकार एक अफसर और उसके कर्मचारी, एक शाखा और एक प्रभाग, एक प्रभाग और एक विभाग के बीच तालमेल बिठाने से है।

3. प्रक्रियात्मक और मौलिकः

यह श्रेणीकरण हरबर्ट ए. साइमन ने प्रतिपादित किए हैं। प्रक्रियात्मक समन्वय की मिसाल स्वयं संगठन की संरचना से मिलती है जो अपने सदस्यों के बीच के औपचारिक संबंधों के तरीके को निर्धारित करती है। मौलिक तालमेल का सरोकार संगठन की गतिविधियों की अंतर्वस्तु से है।

समन्वय के महत्व

1. संगठन के कार्य के कामों में टकराव और दुहराव से बचना। यह खर्च को कम बनाए रखना सुनिश्चित करता है।
2. कर्मचारियों के बीच अपने काम को बेहद महत्व देने और दूसरे के काम को हल्का दिखाने की प्रवृत्ति को कम करना।
3. 'साम्राज्य–निर्माण' की प्रवृत्ति से बचना, यानी, अपनी गतिविधियों को ज्यादा ताकत हासिल करने के लिए विस्तृत करने की प्रवृत्ति से बचना।
4. विशेषज्ञों के संकीर्ण परिप्रेक्ष्य को दुरुस्त करना जो काम के अलग और विशिष्ट हिस्सों में लगे होते हैं।
5. सांगठनिक इकाइयों की बढ़ती संख्या की जरुरतों को पूरा करना।

समन्वय के सिद्धांत

1. प्रारम्भ से ही उपयोगः समन्वय का कार्य प्रबन्ध की प्रारम्भिक व्यवस्था से ही आरम्भ कर देना चाहिए। यदि प्रारम्भ से ही हम समन्वय क्रिया को अलग से नहीं करेंगे तो बाद में समन्वय स्थापित करना कठिन होगा और अनुत्पादक भी होगा।

उदाहरण के लिए एक संस्था का प्रबन्धक माल खरीदने के लिए आदेश दे देता है लेकिन बाद में वित्तीय प्रबन्धक से पता चलता है कि संस्था में इसके लिए धन की व्यवस्था नहीं है तो समन्वय स्थापित करना बड़ा कठिन होगा। इसी प्रकार से यदि विक्रय प्रबन्धक अपने स्टॉक के बारे में बिना जाने ही माल बेचने का आदेश स्वीकार करता है तो किसी भी दशा में माल की पूर्ति समय पर नहीं की जा सकती। अतः योजना बनाते समय ही और कार्यों को प्रारम्भ करने से पहले ही समन्वय स्थापित हो जाना चाहिए।

2. प्रत्यक्ष सम्पर्कः समन्वय का दूसरा सिद्धांत है कि सम्पूर्ण व्यक्तियों के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क होना चाहिए। प्रत्यक्ष सम्पर्क होने से समन्वय शीघ्र स्थापित किया जा सकता है। इससे आपसी समझ एवं सहयोग को बढ़ावा मिलता है और लालफीताशाही जन्म नहीं पाती। वैसे भी समन्वय की सफलता स्पष्ट एवं शीघ्र सवंहन पर निर्भर करती है और इसके लिए प्रत्यक्ष सम्पर्क होना आवश्यक है, जिससे कि दो व्यक्तियों तथा विभागों के बीच में किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा न हो।

3. निरन्तरताः समन्वय के बारे में यह कहा जाता है कि यह एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। यदि इसे बीच में छोड दिया जाएगा तो अनेक समस्याएं पैदा हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि संस्था के उद्देश्यों एवं प्रयत्नों एवं कर्मचारियों, प्रगति एवं लक्ष्यों आदि के बीच निरन्तर समन्वय रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि समन्वय का कार्य निरन्तर चलता रहे।

4. परस्परताः विभिन्न तत्व जब एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो एक–दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे से जुडे रहते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों के कार्यो–हितो आदि में एकीकरण की आवश्यकता होती है और एकीकरण करने के लिए परस्पर संबंधों को ध्यान में रखकर समन्वय किया जाता है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि सभी व्यक्ति एवं कार्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।

समन्वय की विशेषताएं

1. समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है–

संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वय सभी क्रियाओं एवं व्यक्तियों में एकता लाने का प्रयास करता है। सभी विभागों में समन्वय होने से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

2. समन्वय एक प्रक्रिया है–

समन्वय एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता उपक्रम के प्रत्येक स्तर पर होती है। समन्वय के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए।

3. समन्वय सभी प्रबन्धकों का उत्तरदायित्व है–

प्रबन्ध के तीन स्तरों पर समन्वय आवश्यक है। साथ ही, प्रबन्ध के तीनों स्तरों में आपस में भी समन्वय आवश्यक है। समन्वय बनाए रखना सभी प्रबन्धकों का उत्तरदायित्व है।

4. आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार का समन्वय जरूरी है–

संगठन के अन्दर तो समन्वय आवश्यक है ही, साथ ही बाहरी वातावरण के साथ भी समन्वय जरूरी है।

5. प्रबन्ध का सार

उपक्रम के सभी कार्य समन्वय से ही पूर्ण सफल होते हैं अतः यह कहा जाता है कि समन्वय प्रबन्ध का सार है। बिना समन्वय के किसी भी कार्य को सफल नहीं बनाया जा सकता है।

समन्वय और सहयोग

कुछ लोग समन्वय (co–ordination) तथा सहयोग (co–operation) को एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना बड़ा महत्वपूर्ण है कि समन्वय एक प्रणाली है जबकि सहयोग एक विधि।

सहयोग का अर्थ है एक सामान्य उद्देश्य के लिए ऐच्छिक रूप से एक दूसरे के साथ मिल कर कार्य करना, जबकि समन्वय के अन्तर्गत एक अधिकारी विभिन्न व्यक्तियों एवं विभागों के कार्यों में उचित प्रयास करके समन्वय स्थापित करता है जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

सहयोग व्यक्ति की स्वेच्छा से होता है, उसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन समन्वय के अन्तर्गत अधिकारी अनेक प्रयास करके व्यक्तियों तथा विभागों की क्रिया में तालमेल एवं सामंजस्य स्थापित करता है।

समन्वय अधिकांशतः उचित अधिकारियों द्वारा निश्चित कार्यक्रमों के अनुसार प्रारम्भ से ही स्थापित किया जाता है, जबकि सहयोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा स्वयं अपनी इच्छा से परस्पर संबंधों के आधार पर किया जाता है।

समन्वय एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, जो कि नियोजन से प्रारम्भ होती है और नियन्त्रण तक चलती है। सहयोग एक अस्थायी प्रक्रिया है जो कि व्यक्तियों के परस्पर विचारों, संबंधों तथा संगठन के वातावरण पर निर्भर करती है।

समन्वय के अन्तर्गत केवल व्यक्ति अपने प्रयासों को एक दूसरे के प्रयासों से मिलाने का प्रयत्न करते हैं। यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समन्वय और सहयोग पूर्ण रूप से अलग–अलग नहीं है। समन्वय का एक उद्देश्य सहयोग स्थापित करना भी होता है।

अतः समन्वय का मूल अर्थ

बिखरे हुए तंत्रों को किसी नियत उद्देश्य से श्रृंखलाबद्ध करना एवं एक सूत्र में पिरोना ही "समन्वय" है।

दैनिक जीवन की पाठशाला से ली गई चंद ज्ञान की बातें

गौतम कुमार
उप निदेशक

खेती और पशुपालन एक व्यवसाय मात्र नहीं जीवन मूल्यों की पाठशाला है।

एक पौधे के बीजारोपण से लेकर उसके फल के पकने और फिर उसको बाजार में बेचे जाने तक का समय धैर्य सिखाता है (धीरे धीरे रे मना...)

इस पूरी प्रक्रिया में लगाने वाली जीतोड़ मेहनत इंसान को मेहनती बना देती है। पक्षियों को बिजूका (स्केयर क्रो) से तो कीड़ों को कीटनाशकों से चूहों को सांप से मारने/भगाने का ज्ञान दुश्मनों के निपटारे में यथोचित अस्त्र, शक्ति, बुद्धि और कूटनीति का ज्ञान दे जाता है।

धूप, पानी, खाद और दवा हर चीज के संतुलित प्रयोग से जीवन में संतुलन बना कर चलने की सीख मिलती है। कृषि मौसम पर निर्भर होता है और अक्सर दैवीय आपदा का शिकार होने के कारण ईश्वर में अंधी आस्था से भी मोह भंग करता रहता है। वहीं पशुपालन करुणा, दया और सहयोगपूर्ण सहअस्तित्व बताने में अहम भूमिका निभाता है।

चाहे वह सेना हो, चिकित्सा हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रशासनिक पद हो या फिर राजनीतिः आश्चर्य नहीं है कि हर क्षेत्र में किसान के बेटे आपको अव्वल प्रदर्शन करते दिख जाएंगे।

अब हम सभी किसान तो नहीं हो सकते परन्तु यदि घर में गमलों में बागवानी करना शुरू करें और अपने बच्चों को उनमें शामिल करें तो उनके अंदर इन जीवन मूल्यों की सहज समझ विकसित अवश्य कर पाएंगे।

सड़क से लिया गया ज्ञानः अनुभूत सत्य सापेक्ष होता है

घटिया सड़क पर 40 की स्पीड से स्कूटर चलने पर भी 60 जैसी भावना आती है और बढ़िया सड़क पर 60 की स्पीड से भी स्कूटर भगाएं तो पता नहीं चलता। जरुरी नहीं कि हम जो महसूस कर रहे हैं वह सार्वभौमिक सत्य हो या सत्य भी हो। अनुभूत सत्य हमेशा सापेक्ष होता है और जो सापेक्ष है वह सत्य कैसे हो सकता है। अपने अनुभव पर इतना आँख बंद करके भरोसा करना उचित नहीं है। इसीलिए स्कूटर में स्पीडोमीटर और जीवन में मूल्यांकन करने वाले शिक्षक आध्यात्मिक गुरु, समालोचक और धर्मग्रंथों की आवश्यकता है। (मैंने जानबूझ कर आलोचक और निंदक नहीं लिखा है। निंदक और मक्खी की मानसिकता से घाव ढूंढने वाले लोगों से दूर रहें।)

सब्जी बाजार से लिया गया जीवन ज्ञान

हर बाजार में एक फल/सब्जी वाला होता है जो सब्जी फल सुखा/सड़ाकर फेंक देगा अथवा अंत में लागत मूल्य से भी कम पर बेच देगा मगर थोड़ा भी सस्ता नहीं बेचेगा। ऐसा सब्जी-फल वाला जिस मनोवृत्ति का शिकार होता है हम सभी भी उसके शिकार हैं।

(1) पान की दुकान खोल लेंगे लेकिन बनेंगे तो भारतीय प्रशासनिक सेवक ही; प्लान बी और सी है ही नहीं, लाइफ में!

(2) बेटे बेटी की उम्र निकल जाए तो निकल जाए शादी करेंगे तो ऐश्वर्या राय जैसी लड़की/ऋतिक/अम्बानी जैसे लड़के से ही; भले ही अपना लाडला/लाडली जॉनी वॉकर या ललिता पवार जैसी भी न दिखती हो (यह किसी अन्य शैक्षणिक/व्यावसायिक गुण पर भी लागू होता है)

ऐसे फल सब्जी वालों को और ऐसे फल सब्जी वालों से हमें भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो पहले समझते हैं कि ऐसे फल सब्जी वाले की क्या कमियां हैः

(1) वह जिस दाम पर बेच रहा है उसके कम दाम पर हो सकता है कि कोई और वही आइटम बेच रहा हो जिसकी क्वालिटी उसके बराबर हो। यदि ऐसी स्थिति है तो फिर निश्चय ही :-

(क) वह या तो अपनी वस्तु को ज्यादा मूल्य पर खरीद कर आया है। यदि आपकी जिद है कि आप दुनियाँ को भी वही देंगे जो आपको मिला है तो आप सनकी साबित होंगे। आपको किसने क्या दिया उसकी सजा सामने वाले को देने की कोशिश करेंगे तो आप ही नुकसान में रहेंगे। बाजार में जिस प्रकार मांग और आपूर्ति का सिद्धांत होता है उसी प्रकार दुनिया में व्यवहार का भी एक सिद्धांत होता है। आप अपनी बेवकूफी से हुई हानि को दूसरे के ऊपर थोपेंगे तो और अधिक हानि ही उठाएंगे।

(ख) अगर उसी मूल्य पर खरीदा है तो अधिक लाभ का लालच कर बैठा है। आधी छोड़ सारी को धावे आधी रहे न सारी पावे। सामने वाले को मूर्ख समझना बंद करें। अन्यथा अंत में आप स्वयं मूर्ख साबित होंगे।

(2) उसके सामान की गुणवत्ता उस बाजार के अन्य बेचने वालों से बेहतर हो पर उस बाजार में जो लोग सामान खरीदने आते हैं उनके लिए वह बाजार गैरजरूरी है जो कि दो कारणों से हो सकती है:

(क) गुणवत्ता की समझ की कमीः यदि विक्रेता को लगता हो कि लोग सुन्दर सेब की ओर आकर्षित होंगे, उसका आकार पूर्णतया गोल और रंग लाल हो पर वह मीठा न हो, उस बाजार के मध्यमवर्गीय परिवार वाले मिठास देख कर सेब खरीदते हैं। उसके आड़े टेढ़े और कम लाल होने से उनको कोई फर्क नहीं पडता। दिखावा हर जगह नहीं काम आता।

(ख) गुणवत्ता के पहलुओं के बीच प्राथमिकता की समझ की कमी: सेब सुन्दर और मीठा दोनों है परन्तु बाजार में कुरूप पर मीठा सेब भी उपलब्ध है उससे कम दाम पर और वहां का खरीददार वर्ग मध्यमवर्गीय है तो निश्चय ही उसके महंगे सेब नहीं बिकेंगे। वही सेब भले ही दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके में जिस भाव से बिक रहे हों उससे आप सस्ता ही बेच रहे हों परन्तु दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाकों के ग्राहक आपके जे जे कॉलोनी के पास खरीददारी करने नहीं आएंगे। तुलना हर जगह सटीक नहीं बैठती।

(ग) ग्राहकों की क्रय शक्ति की समझ की कमीः झुग्गी वाले इलाके में टेढ़ा मीठा सेव भी नहीं बिकता वहां सड़े भाग को काट कर बेचा जाने वाला ही बिकेगा। उनके लिए ऐसा सेब भी एक लक्जरी है। जैसा देश वैसा भेष।

(घ) समय का महत्व और समय के साथ होने वाले मूल्य ह्रास को समझना जरूरी है। जब फल सब्जी ताजा हो तो उसकी ज्यादा कीमत मिलती है और समय के साथ उसकी कीमत में कमी करनी पड़ती है। ऐसे में यदि अंत में थोड़े बचे फल सब्जी को आप लागत से कम पर भी बेचेंगे तो शुरुआत में प्राप्त मुनाफे से उसकी भरपाई की जा सकती है। इससे हमें बुरे वक्त के लिए अभी तैयारी करने की प्रेरणा मिलती है। एक और सीख है जब आपके पास 5 साल तैयारी के हों तो आप आईएएस का सपना देखें जब 1 साल भी न हो तो फिर बेहतर है कि अपनी क्षमता के अनुसार जो सबसे आसान हो उस ओर प्रयास किया जाएं। लड़के या लड़की का विवाह करने के लिए निकलने वाले अभिभावक भी पहले सर्वोत्तम के लिए प्रयास करें और समय के साथ अपनी प्राथमिकताओं में ढील देना शुरू करें तो सफलता अवश्य मिलेगी।

साक्षर और शिक्षित में अंतर

वह पढा लिखा भी क्या पढा लिखा, जिसको पढ़ना न भाता हो,
जो श्रवण, मनन और चिंतन करे वह शिक्षित है, भले उसको पढ़ना न आता हो।

सभी डिग्रीधारी पढे लिखे नहीं होते। दरअसल पासपोर्ट गेसपेपर और फर्रे छाप शिक्षा व्यवस्था से डिग्रीधारी बने बाहर से शिक्षित और अंदर से रट्टू तोतों ने अपने व्यवहार से डिग्रियों का महत्व ही खत्म कर दिया है। वहीं यदा कदा प्रतिरूपण, क्वेश्चन आउट और अन्य कदाचारों ने जन सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के पढे लिखे होने के पैमाने के रूप में इन पर से लोगों का विश्वास उठा दिया है।

ऐसे में शिक्षित और साक्षर का अंतर एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। अखबार कई लोग पढते हैं। कुछ लोग केवल परिशिष्ट में फिल्मी जगत की सुंदर तस्वीरें देख कर बंद कर देते हैं, कुछ परिशिष्ट में फिल्मी खबरें और दैनिक राशिफल भी पढ़ते हैं, कुछ मुख्य अखबार में हेडलाइन भी पढ़ लेते हैं, कुछ लोकल खबरें पढ़कर बंद कर देते हैं, कुछ राष्ट्रीय खबर भी पढ़ते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर भी पढ़ते हैं, कुछ सम्पादकीय और लम्बे लम्बे आलेख भी पढ़ते हैं एवं कुछ संपादकों को पत्र लिखकर संपादकीय एवं खबरों पर अपने विचार से अवगत भी कराते हैं।

मुझे नहीं लगता कि इस उदाहरण के बाद किसी भी समझदार को इस उदाहरण का उद्देश्य समझाने की जरूरत है। बस इतना ही कहूँगा, निरक्षर बच्चे से लेकर शिक्षित अधिकारी बनने तक के सफर में मैं खुद इनमें से हरेक प्रकार का अखबार पाठक रहा हूँ और यह यात्रा अभी भी जारी है। परंतु कुछ लोगों के लिए यह यात्रा अभी भी पहले दूसरे या तीसरे स्टेज में अटकी होती है।

यह बात मानने को तैयार हूँ कि शिक्षित भी हर अकादमिक विषय (अर्थात मनोरंजन विषय छोडकर) में रूचि रखे यह जरूरी नहीं है पर किसी भी विषय में पढ़ने में उसकी रूचि न हो तो फिर वास्तव में वह शिक्षित नहीं है। जो शिक्षित चीजों को जानने के लिए न पढ़े, और पढ़ने पर मनन और चिंतन कर अपना निष्कर्ष निकाल नहीं पाए, अपना एक इंकोर्म्ड स्टैंड और निर्णय नहीं ले सके, वह साक्षर है केवल, शिक्षित नहीं।

कोरोना की पहली-दूसरी लहर में लिखी गई

सूनी सड़कों पर मास्क लगाकर,
अदृश्य दुश्मन से डरा हुआ,
भागती गाड़ी में दौडती धड़कन लिए,
डर से आधा मरा हुआ

चल पडा हूँ उस दफ्तर को,
जो अब वीराना–सा लगता है।
जहाँ कभी शान से जाता था,
अब अनजाना–सा लगता है।

इतना सन्नाटा है पसरा वहाँ,
खिड़की से आती हवा का शोर सुनाई देता है।
अंदर सूना, बाहर सूना
खिडकी से दूर तक बस सूनापन दिखाई देता है।

मजबूर गरीब का बच्चा भूखा है,
उसका क्या कसूर है बताना हे ईश्वर,
क्यूँ मेहनतकश को भी सजा मिली,
क्यों उसके बच्चे के नयन बने निर्झर

तुम दयालु नहीं, तुम न्यायप्रिय नहीं,
जब फर्क नहीं कर सकते मेहनतकश और चोर, बेईमानों में।
तुम भी जब ऐसे सताओगे गरीबों को,
तो फर्क क्या है तुममें और उन चंद इंसानों में।

जो गरीबों का शोषण करते हैं,
अपनी तिजोरी भरते हैं।
जितने भी कुकर्म हैं दुनिया में,
बेफिक्र निडर हो करते हैं।

तुमसे अच्छे तो वे धरती के भगवान भले,
जो डंडा, आला, झाड़ू लिए, लगे हैं इंसानियत को बचाने में।
अब बस भी करो यूँ अति न करो, कर दो माफ
जो भूल हुई हम इंसानों से अंजाने में।

कट्टरता, लालच, नफरत, बेईमानी,
ने कम खोद रखी थी इंसानों के बीच खाई,
भूख, गरीबी, अनगिनत रोग कम पड़ गए थे
जो तूने ऐसी भयंकर विपदा बनाई?

इंसानों को इंसानों से दूर तो कर ही दिया
हे ईश्वर तुमने भी दरवाजे बंद कर लिए हम इंसानों के लिए।
किसको कोसूँ, किससे फरियाद करूँ,
है कौन जिम्मेदार इस मजबूरी के लिए?

एक तो बुलबुले सी
हो गई है जिंदगी,
ऊपर से हवा में तैर रहा
काँटेदार कोरोना है।

सारी संवेदनाओं से
मुक्त हो चुका है मन,
बस भय से भर गया
मन का कोना कोना है।

गौतम कुमार
उप निदेशक

झूले, पार्क, गलियाँ अब सूनी हैं,
मास्क सैनिटाइजर बन गया
बच्चों का खिलौना है,
सायरनों की आवाजें आनी बंद नहीं हो रही सड़कों से,
हर थोड़ी दूर पर घरों में जारी रोना धोना है।

विवाह में खाने के काउंटर पर नहीं लगती लाइन अब,
तंदूर के चारों तरफ जमने वाले भीड़ भी नदारद है,
चंद मेहमान आए तो सही आशीर्वाद देने को,
पर बिना खाए चले गए बेसमय,
भरा हुआ रसगुल्ले का भगोना है।

बंद कमरे में बचा तो रहेगा, पर जलता रहेगा कब तक
तेल भरने के लिए, दिए का हवा से सामना तो होना है।
इसलिए सन्नाटे भी नहीं इस बरस पिछली साल की तरह,
मारने को एक तरफ भूख एक तरफ कोरोना है।

नारी

राज के. सिंह
उप निदेशक

नारी तेरी कथा अनंता
हर रूप में,
हर रंग में
रचती हो तुम
एक कथा।

आती हो दुनिया में तुम
प्यारी सी गुड़िया
बनकर
चली जाती हो तुम दुनिया
से
दुलारी 'लाल परी' बनकर

पूजा होती है तुम्हारी
हर रूप में।
खुश्बु होती है तुम्हारी
हर रंग में॥

दीप से दीप जलाकर तुम।
दीपिका कहलाती हो॥

खुशियाँ अपार देती हो
तभी तो तुम्हारी अर्चना की जाती है।

स्नेह का बंधन बनाए रखती हो।
तभी तुम स्नेहा कहलाती हो॥

वंश को तुम ही आगे बढ़ाती हो।
इसीलिए तो वंशिका कही जाती हो॥

रचना बनकर तुम,
घर परिवार रचाती हो॥

बनकर प्रिया तुम,
दिल पर राज करती हो।

अमानत संभाल कर रखती
हो तुम निधि बनकर

रिश्तों में मिठास लाती
हो तुम हनी बनकर

नीति की बात बताती
हो तुम नीतिका बनकर

हर गम को समेटती
हो तुम आँचल फैलाकर
गढ़ती हो तुम परिवार
की जिंदगी शिल्पी बनकर

झेल जाती हो तुम
हर मुसीबतें प्रतिभा बनकर

श्रेया होकर भी
सफलता का श्रेय नहीं लेती हो

विद्या में महारत होकर भी
हर पल सीखती रहती हो

कोमल भी हो तुम
सुषमा भी हो तुम
दुर्गा भी हो तुम
सरस्वती भी हो तुम

मुस्कुराहट के साथ
जीना सिखाती हो तुम
मेरी रीना बनकर
त्याग की मिसाल
बनना सिखाती हो तुम
हमारी मीना बनकर

नारी तेनी कथा अनंता
हर रूप में, हर रंग में
रचती हो तुम हरपल एक कथा

चली जाती हो तुम,
'लालपरी' बनकर

शान तुम जरा भी नहीं रखती
पता नहीं क्यों फिर शानू कहलाती
भाव तो तुम में कूट कूट भरी है,
फिर भी न जाने क्यूँ भावना कही जाती हो।

वीणा की मधुर झंकार हो तुम,
पायल की मस्त आवाज हो तुम।

वो दस दिन - विपश्यना शिविर

श्याम सुन्दर
सहायक निदेशक

ध्यान के बारे में कई वर्षों से व्याख्यान सुनता व देखता रहा हूँ और अपने परिचितों व मित्रों से भी इस विषय में चर्चा करता रहा हूँ परन्तु स्वयं अनुभव लेने का अवसर मुझे वर्ष 2014 में मिला। इसका श्रेय मैं मेरे मित्र को देना चाहूँगा। दस दिवसीय शिविर में भाग लेने के बाद वह मुझसे मिला और मुझे बोला कि आपका शुक्रिया, आपने इस विपश्यना ध्यान साधना के लिए प्रेरित किया। शिविर के पश्चात वह बदला हुआ नजर आया। यही मेरे लिए काफी था, बुद्धि से अर्जित सूचना और अनुभव से प्राप्त ज्ञान में भेद जानने के लिए।

लगभग दो वर्षों से मैं शिविर जाना जाहता था परन्तु मित्र का अनुभव सुनकर मैंने अगले शिविर के लिए अपने नाम का पंजीयन करवाया। गांधीनगर से लगभग 70 किमी दूर महेसाना जिले में शहर के बाहर गाँव मिठा में धम्म दिवाकर विपश्यना साधना ध्यान केंद्र स्थित है। दस दिवसीय शिविर का आरंभ शून्य दिवस को शाम 5 बजे से होता है। इसी दिन दस दिनों की दिनचर्या, ध्यान साधना के विषय में दिशा–निर्देश दिए जाते हैं। दिशा–निर्देश सुनते वक्त मैं बहुत सहज महसूस कर रहा था। चूँकि मैंने पिछले वर्षों में यूट्यूब के माध्यम से सारी सूचना और व्याख्यान कई बार सुन लिए थे। सूचना देने वाला व्यक्ति बहुत ही संतुलित और सटीक शब्दों में बता रहा था। उसका इन बातों का बल था किः

(1) आर्य मौन अर्थात किसी भी माध्यम से सम्प्रेषण/वार्तालाप नहीं, (2) यह साधना/ध्यान किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करती (गौतम बुद्ध द्वारा लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्रयोग में लायी गयी यह साधना 70 के दशक में अपने विशुद्ध रूप में भारत में पुनः अस्तित्व में आई इसका श्रेय श्री सत्यनारायण गोयंका को जाता है जो कि भारतीय मूल के म्यांमार के उद्योगपति हैं) (3) गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किये गये हैं। (4) सभी धर्मों के लोगों को बताया गया कि आप जिस किसी भी परम्परा, मान्यता, संप्रदाय को मानते हों, शिविर प्रबंधन/आचार्यों व सहायकों को उससे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु यदि आप अगले दस दिन बताये गये निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो वांछित लाभ नहीं हो पायेगा। (5) केंद्र में पंचशील का पालन अर्थात झूठ नहीं बोलना, नशा, व्याभिचार, चोरी इत्यादि न करना व मौन धारण करना।

शून्य दिवस की रात मुझे अपने कक्ष में जाने के लिए कहा गया। कमरा आठ फीट चौड़ा व सात फीट लम्बा था। कमरे में ही शौचालय व स्नानघर की सुविधा उपलब्ध थी। एक पंखा था व खिड़की–दरवाजों में जाली लगी थी। फिर रात को सोते वक्त विचार चले, कितनी शांति है यहाँ, कितने दिनों के बाद मैं यहाँ पहुंचा, मैं तो बना ही यहाँ आने के लिए था आदि–आदि और कई बातें। पहले दिन की शुरुआत प्रातः 4 बजे धम्मसेबक की घंटी से हुई। 4.30 बजे से 6.30 बजे तक धम्म हॉल में ध्यान विधि सिखाई गयी। 6.30 बजे से 8.00 बजे नाश्ता, 8.00 बजे से 11.00 बजे ध्यान के पश्चात दिन का भोजन। 11.00 बजे से 01.00 बजे तक आराम एवं 01.00 बजे से 05.00 बजे तक ध्यान। सांय 05.00 बजे से 06.00 बजे तक आराम। पुनः 06.00 बजे से 09.00 बजे तक ध्यान। 09.30 बजे आचार्य से साधना संबंधी प्रश्न, यदि कोई हो तो, पूछ सकते हैं अन्यथा 09.30 बजे बत्तियां बंद कर दी जाती और सभी सोने के लिए अपने–अपने कक्ष में चले जाते। इस प्रकार दिनचर्या में दो रात–दिन तो जैसे तैसे गुजर गये किन्तु तीसरी रात में विचारों ने मन को ऐसा व्याकुल किया कि मैं बहुत बेचैन हो गया, घबराहट होने लगी। नींद का न आना

और अधिक परेशानी बढ़ा रहा था। चौथे दिन सुबह के ध्यान के पश्चात मैं आचार्य के कक्ष में पहुँच गया और बोला कि श्रीमान मैं शील और समाधी समझ गया हूँ, मुझे प्रज्ञा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाने दें। आचार्य ने अपने पूरे अनुभवी होने का परिचय देते हुए मुझसे इसका कारण पूछा और जवाब में कहा कि यदि बात बैचैनी और घबराहट की है तो उसका कारण है कि यहाँ आप मन की शल्यक्रिया करवा रहें हैं, भीतर संग्रहित संस्कार फूट–फूट कर बाहर आ रहे हैं, उन्हें देखते रहो आज तक पहले कभी इस तरह अंतर्मुखी होकर देखा नहीं, हमेशा बहिर्मुखी ही रहे, और आगे वे बोले कि यह तो कुछ नहीं है, आगे और गहरी शल्यचिकित्सा होगी।

मैंने सोचा वे मेरी बात नहीं समझेंगे जबकि उनके पास मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर था। फिर भी मैं वहां रुकने को तैयार नहीं था, मैं वहाँ से निकलने के बहाने ढूंढने लगा। फिर सोचा, जैसे भी हो दस दिन पूरा कर लेता हूँ ताकि बाद में पराजय का भाव न सताए और मैं दिन गिनने लगा। मैं नया साधक था, जैसे तैसे निर्देशों का पालन करता रहा। दिन गुजरे और विचार शांत व कम घबराहट देने वाले होने लगे। ऐसा लगा कि विकारों का पुंज हूँ मैं और साधना करते करते विकार उमड़–उमड़ कर ऊपर आ रहे हैं और उनकी निर्जरा हो रही है। मन शांत होने लगा, नींद आने लगी, घबराहट कम हुई, हल्कापन महसूस होने लगा। 12–14 घंटे ध्यान में बैठने के दौरान जो पीड़ा होती थी वह धीरे धीरे अब गायब हो गई। दसवें दिन मौन समाप्त हुआ। शिविर में सम्मिलित सभी साधकों का चेहरा प्रफुल्लित नजर आ रहा था। मैं भी बहुत प्रसन्न था कि मैंने शिविर बीच में नहीं छोड़ा। अन्यथा इस आनंद को कभी जान नहीं पाता।

मौन समाप्त होने के बाद मैंने एक पुराने साधक से पूछा कि इस तरह के शिविर निःशुल्क क्यों और कैसे आयोजित किए जा रहें हैं, उनका जवाब था – यदि इस साधना को सिखाने के लिए पैसे लिए जाएंगे तो ठीक–ठाक कमाने वाले तो इसका लाभ ले पाएंगे किन्तु कम कमाने वाले और मजदूर वर्ग इसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे और दस दिन की कमाई के नुकसान का ख्याल उसे कल्याणकारी विपश्यना साधना से वंचित ही रखेगा। कैसे आयोजित किए जा रहें हैं – इसके जवाब में वे बोले कि लाभान्वित साधक स्वेच्छा से नए साधकों के लिए दान देते हैं, और उद्योगपति श्री सत्यनारायण गोयंका जी का परिवार इसका संचालन करता है।

आदर्श नागरिक

कमल राम प्रजापत
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

सामान्य रूप में 'नागरिक' शब्द का अर्थ है – नगर–निवासी, किंतु अब 'नागरिक' शब्द अपना विशिष्ट अर्थ रखता है। नागरिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वे ग्रामवासी हों या नगरवासी।

प्राचीनकाल में यूनान तथा रोम में 'नागरिक' शब्द का प्रयोग उन्हीं विशिष्ट लोगों के लिए होता था, जिन्हें संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते थे। प्राचीन रोम और यूनान की सभ्यता में दासप्रथा के अनेक घृणित उदाहरण पर्याप्त रूप में मिलते हैं।

दास बनाए हुए इन व्यक्तियों को वे लोग अपने समान अधिकार कदापि नहीं दे सकते थे। ये दास यद्यपि उसी भूभाग में, उसी राज्य की छत्रछाया में रहते थे, परंतु उन्हें रोम के स्वतंत्र नागरिकों के समान कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे।

कालांतर में 'नागरिक' शब्द का अर्थ परिवर्तित हो गया, जिसे एक विद्वान ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है – "केवल राज्य में रहने भर से मनुष्य नागरिक नहीं बन सकता। नागरिक बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसे अधिकार प्राप्त हों तथा उसके कर्तव्य हों।" जो व्यक्ति राजद्रोही, अपराधी, दंडित, पागल, दिवालिया है उसे नागरिक के अधिकार प्राप्त नहीं होते।

हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य की ओर से राजनीतिक , धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही स्वतंत्रता यदि स्वच्छंदता में परिणत हो जाए तो यह जन–समुदाय के लिए घातक सिद्ध होगी। नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होने की आवश्यकता है।

मुख्यतः प्रत्येक राज्य में चार प्रकार के नागरिक होते हैं:

1. अल्पवयस्क नागरिक
2. मताधिकार–प्राप्त वयस्क नागरिक
3. मताधिकार से वंचित वयस्क नागरिक
4. नागरिकता प्राप्त किए हुए नागरिक

नागरिकों की उन्नति का उत्तरदायित्व स्वयं नागरिकों पर ही है। नागरिक–जीवन में राज्य की ओर से हमें नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त है। नागरिकों को भाषण देने और लेख लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता है, साथ ही नागरिकों का कर्तव्य है कि ऐसे लेख तथा ऐसे भाषण न दें, जिनसे जनता में सांप्रदायिकता और धार्मिक भावनाएँ भड़क उठें।

नागरिक–जीवन का प्रथम चरण है – सहयोग ; अर्थात मनुष्य समाज में किस प्रकार अधिक–से–अधिक शांतिपूर्ण अवस्था में रहकर अपनी उन्नति करता जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने की चेष्टा करता है तो राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को उसके अपराध का उचित दंड दे।

राज्य का कार्य सुव्यवस्था स्थापित करना है। अच्छे नागरिक को चाहिए कि वह निष्पक्ष, निर्लोभी और सहिष्णु हो, तभी वह समाज की सच्ची सेवा कर सकता है। उसे अपने दायित्व का अनुभव करना चाहिए कि उसके समुदाय, समाज, देश तथा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। वह ऐसा कोई भी कार्य न करे, जो जनहित में विरुद्ध हो।

नागरिक–जीवन हमें सहयोग का पाठ पढ़ाता है। सभ्यता के प्रारंभिक काल में भी मनुष्य ने अपनी सुरक्षा और आवश्यकता हेतु काफिले बनाए थे। अकेला वह तब भी नहीं रह सका था। आज सभ्यता ने जब मनुष्य को समस्त सुख और शांतिमय जीवन का आश्वासन दिया है तब तो उसके प्रति हमारे कुछ निश्चित कर्तव्य भी हैं, जिनका पालन करना नितांत आवश्क है। राज्य की ओर से हमें विशिष्ट अधिकार प्राप्त है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है – शांति और सुरक्षा का अधिकार।

राज्य का कर्तव्य है – चोर, डाकुओं तथा असामाजिक तत्वों से हमारी रक्षा करना। इसलिए सरकार की ओर से सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस नियुक्त होती है। बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा होना आवश्यक है। यदि कोई मनुष्य दूसरे को व्यर्थ ही हानि पहुँचाने की चेष्टा करे, मारे–पीटे, हत्या करे तो इन सब अपराधों का दंड राज्य की ओर से उक्त व्यक्ति को देना आवश्यक है; क्योंकि वह सामाजिक जीवन की शांति–सुव्यवस्था को भंग करता है। इस सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य न्यायालयों की व्यवस्था करता है, जिसमें व्यक्ति के समस्त अपराधों का उचित दंड निश्चित किया जाता है।

नागरिक जीवन में मेल–जोल की बहुत आवश्कता है, इसीलिए सरकार समस्त संप्रदायों में शांति स्थापित करने की पूर्ण चेष्टा करती है। राज्य हमारी जान–माल की रक्षा करता है। नागरिक जीवन में हमें अनेक सुविधाएँ राज्य की ओर से प्राप्त हैं। जब कोई नागरिक इतने अधिकारों का भोग करता है तो उसके कुछ कर्तव्य भी हैं, जिन्हें उसे पूरा करना चाहिए।

अपने कर्तव्यों का पालन करके ही नागरिक सुखी–संपन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के नाते हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम जिस व्यवसाय को अपनाना चाहें, अपनाएँ। बाहरी देशों से व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमें इस प्रकार का कोई भी कार्य करने की राज्य अनुमति नहीं देगा, जो देश की भलाई और प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो।

प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक वैयक्तिक विकास करने का अधिकार है। हम जिस धर्म को अपनाना चाहें, अपनाएँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। वह जिस देवी–देवता की उपासना करना चाहे, करे। किंतु सामाजिक जीवन को शांतिमय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह अन्य धर्मों के प्रति भी उदार हो। अच्छे नागरिक को समस्त सांप्रदायिक वैमनस्यों और भेदभावों को भुला देना चाहिए।

नागरिकों को राज्य की ओर से भाषण करने की स्वतंत्रता है, किंतु उनका कर्तव्य है कि वे इस अधिकार का दुरुपयोग न करें। वे ऐसे भाषण न दें, जो जनहित और राष्ट्रहित के विरुद्ध हों और सांप्रदायिक वैमनस्य को उभारें। सभाएँ करने और एकत्र होने का अधिकार राज्य की ओर से प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, किंतु गुप्त षड़यंत्रकारी सभाएं करने का अधिकार नहीं है। नागरिक जीवन में राज्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का समान अधिकार देता है, परंतु उसका दुरुपयोग वह कदापि सहन नहीं कर सकता।

टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक विजेता भाविना पटेल का पुष्प गुच्छ से स्वागत करते हुए श्री रत्नेश कुमार गौतम, अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक

बीमित व्यक्ति के आश्रितजन को क.रा.बी.हितलाभ जारी करते हुए
श्री रत्नेश कुमार गौतम, अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक

नराकास अहमदाबाद से राजभाषा में वर्ष 2020–21 में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए सहायक निदेशक (प्रभारी राजभाषा) श्री कमल कान्त मीना

हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी

राजभाषा के क्षेत्र में वर्ष 2020-21 में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन हेतु प्रशस्ति पत्र एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी श्री कमल राम प्रजापत (दाएं)

क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद में हिंदी कार्यशाला का आयोजन

'अक्षर यात्रा' के 22 वें अंक का विमोचन

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कोविड - विज्ञान और अन्धविश्वास

नितिका
कार्यालय अधीक्षक

हमारी पूरी मानव जाति आज एक ऐसी महामारी से जूझ रही है, जो मानव के स्वयं की गलतियों को प्रकाशित कर रहा है। मेरे अनुसार भारत में कोरोना की जंग लडने के लिए दो अलग–अलग पक्ष हैं। एक पक्ष हमें यह बताता है कि हमें घर पर रहना चाहिए, साफ–सफाई का ध्यान रखना एवं सरकार की बातों का पालन करना चाहिए; तभी हम और हमारा परिवार कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। इसी के विपरीत दूसरा पक्ष वह है जो समाज की सारी समस्याओं का हल करने के लिए किसी आकाशवाणी पर निर्भर रहता है।

इन लॉकडाउन के दिनों में भारत के हर कोने से अलग–अलग आकाशवाणी सुनने को मिली है। मैंने एक बार अपनी माताश्री से यह पूछा कि इस तरह की आकाशवाणी मेरे साथ क्यों नहीं होती? इस पर वह अपनी पूजा की घंटियों को बजाते हुए मेरी तरफ देखते हुए बोली, "यह सब नास्तिकों के साथ नहीं होता। देख नहीं रही हो, माता दुर्गा की वजह से ही भारत में स्थिति नियंत्रण में है। विदेशों में लोग पूजा–पाठ नहीं करते इसलिए वहाँ ऐसी स्थिति है।"

लॉकडाउन में कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन में आदरणीय प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक खास अपील की कि 22 मार्च को हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करें जो जोखिम उठाकर आवश्यक कामों में लगे हैं, इस महामारी से लड़ने में मदद कर रहे हैं। रविवार को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे, बाल्कनी–खिड़कियों के सामने खडे होकर पांच मिनट तक ताली–थाली बजाकर उन लोगों के प्रति कृतज्ञता जताएं। सभी ने इसका पालन भी किया लेकिन हमारा वैसा पक्ष जो आकाशवाणी पर निर्भर करता है उन सभी को यह समझ आया कि कोरोना एक वायरस है जिसके हम इंसानों की तरह 2 कान हैं और हमारे आवाज करने से वह भाग जाएगा। इस तरह हमारे लॉकडाउन की शुरुआत हुई।

यह यहीं खत्म नहीं होता है। इस बीच मेरी माता श्री रामायण की एक पुस्तिका लेकर मेरे पास आयी और कहती हैं, सभी को इसमें हनुमान जी के बाल मिल रहे हैं, तुम भी ढूंढो! उनसे जब मैंने पूछा कि आप उस बाल का क्या करोगे तो कहती है गंगा जल से बाल को धोकर उस पानी को पीना है। ये सुनते ही मुझे उल्टी आ गई। लेकिन बाद में मुझे वो पानी कब पिला दिया गया यह मुझे भी नहीं पता चला। इन सब के बाद मुझे लगा चलो अब कोई टोटका नहीं है। लेकिन इस बार फिर मैं गलत थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी रात के 9 बजकर 9 मिनट अपने घर की बाल्कनी में दिया, मोमबत्ती, मोबाइल की लाइट जलाकर हमारे कोरोना के योद्धाओं का उत्साह बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे भारत की भोली जनता ने इसको भी एक टोटका समझ लिया। सब कहने लगे प्रधानमंत्री ने किसी पंडित से पूछ कर ऐसा करने को कहा है। जब मैंने इन बातों का खंडन किया तो मुझे सुनने को मिला कि फिर तुम ही सोचो उन्होंने 9 बजकर 9 मिनट तक ही दिया जलाने को क्यों कहा?

मैं सोच में पड़ गई 9 मोबाईल कहां से लाऊँ? खैर, घर के सभी लोगों का मोबाइल मिलाकर 9 मोबाइल भी आये और 9 दिये भी जले। इन सब चीजों से मैं इतनी निराश हो गयी थी कि पढ़ी–लिखी होने के बावजूद यह सब मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन मेरी माता श्री ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया और साफ तौर पर मैं इसकी शिकार हुई। यह सब तो चल ही रहा था कि तभी मैंने न्यूज देखने के लिए अपना टीवी खोला जिस पर एक मौलाना जी का इंटरव्यू चल रहा था जो न्यूज रिपोर्टर से यह बहस कर रहे थे कि हम मुसलमानों को कोरोना छू भी नहीं सकता क्योंकि हम पाक और साफ दिल के हैं। यह सभी बातें मेरे दिमाग के ऊपर से गई और मैंने चैनल बदल दिया।

मेरी माताश्री फिर मेरे पास आई और मैं उनको देखते ही सहम गई, यह सोच कि अब यह क्या करवाएंगी मुझसे! लेकिन मैं गलत थी। इस बार वह मुझे यह बोलने आई थी कि तुम सही थी। इन लोगों की आकाशवाणी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब कोई टोटके नहीं करूँगी सिर्फ सरकार के दिशा–निर्देश का पालन करूँगी। वह भी टोटके करते करते थक गई थी। मैंने मन में कहा चलो मेरी जान बची। लेकिन यह सारी घटनाओं के पश्चात जब मैंने इस पर चिंतन किया तो मेरे जेहन में कुछ सवाल आए।

जितनी भी आकाशवाणी अभी तक मुझे सुनने को मिली हैं वह सभी महिलाओं के द्वारा ही मिली हैं। क्या महिलाओं पर भगवान अपना विशेष ध्यान रखते हैं? क्या महिलाओं की समस्याएं भगवान जल्दी दूर करते हैं? लेकिन फिर मैं यह सोचने पर मजबूर हो गयी, अगर भगवान का महिलाओं पर विशेष ध्यान रहता है, तो फिर समाज में महिलाओं की स्थिति ही इतनी बुरी क्यों है? आए दिन उन्हें बलात्कार, घरेलू हिंसा इत्यादि जैसी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है?

यह सब सोचते–सोचते मैंने पाया कि इसके पीछे पितृसत्तात्मक समाज का हाथ हो सकता है। उन्हें जब ऐसा लगा होगा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने से वह अपने शासन और सत्ता को महिलाओं के ऊपर से खो सकते हैं, तब उन्होंने महिलाओं के अंदर एक ऐसा डर पैदा करना शुरु कर दिया होगा जिससे वह कभी भी पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकें। उन्हें धर्म एवं पूजा–पाठ से जोड़ दिया और महिलाओं द्वारा जो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा जाता था उसमें भी पुत्र प्राप्ति , पति भगवान के समान होता है एवं पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखना, इन्हीं बातों की चर्चा की जाती है। कहीं भी पुत्री प्राप्ति एवं पत्नी की लंबी आयु के लिए व्रत इत्यादि का जिक्र नहीं किया जाता है। क्योंकि वह सभी पुस्तकें भी किसी ना किसी पुरुष के द्वारा लिखी गई हैं।

यह सभी चीजें इतने समय से चलती आ रही है कि महिलाएं उससे स्वयं को दूर नहीं कर पाती हैं। अब आप मेरा ही उदाहरण देख लीजिए। जागरूक होने के बावजूद इन सभी अन्धविश्वासों में मैं अपनी माता श्री का सहयोग कर रही थी क्योंकि मुझे बचपन से ही भगवान एवं उनकी पूजा करना, यह सब सिखाया गया है। अब चाहकर भी मैं इन सब से पूरी तरह दूर नहीं हो सकती। इसका असर महिलाओं के मानसिक एवं भावनात्मक विकास पर भी पड़ता है। अगर वह स्वयं के लिए कोई बेहतर निर्णय लेने का सोचती भी हैं तो भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाती है। महिलाओं की एक ऐसी छवि बनाई जाती है जो भावुक, कमजोर, स्वयं से पहले अपने पिता, पति, पुत्र के विषय में सोचना इत्यादि, जिसका बोझ बचपन से ही उठाना पड़ता है और वह अपने आस–पास भी यही सब देखती है जिससे उनकी प्रकृति ही ऐसी बन जाती है। यही कारण हो सकता है कि महिलाएं अंधविश्वास का अधिक शिकार होती हैं।

मेरे और मेरी माता श्री जैसे ही बहुत लोग लाचारी एवं अंधविश्वास में यह सब को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा–निर्देश की धज्जियाँ उडाई जा रही हैं। जबकि प्रशासन ने हिदायत दे रखी है कि इस तरह की अफवाह एवं अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों पर सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ दुनिया के सभी वैज्ञानिक कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज ढूंढने में लगे हैं। उम्मीद है कि वह एक–डेढ़ साल में इसका इलाज भी ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद इन अफवाहों के लिए नहीं बन रही है। जाहिर है अंधविश्वास फैलाने वाले अपने हित साधना चाहते हैं और मैं आप सभी को यह बता दूँ कि कोरोना किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय से विशेष संबंध नहीं रखता है। इसका एक मात्र उपाय यह है कि हम इस तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देकर सरकार के नियमों का पालन करें और सरकार की मदद करें।

(काल्पनिक लेख)

सूचना प्रौद्योगिकी और आर्थिक प्रगति में हिंदी का योगदान

पूजा कुलकर्णी
उच्च श्रेणी लिपिक

आज हमारी आर्थिक समृद्धि नए आयामों तक पहुँचने के लिए प्रशस्त है। ऐसे में भारत के बाजार की अनदेखी नहीं की जा सकती है। सॉफ्टवेर कंपनियां अब नये बाजार की तलाश में हैं। आज भारत इन्टरनेट का विशाल बाजार बन गया है और ऐसी स्थिति में हिंदी को नकारा नहीं जा सकता है। कम्प्यूटर की भाषा अंकों की भाषा है, उसकी भाषा एक और शून्य है। अन्तर्राष्ट्रीय आई.टी. कंपनियां हिंदी के क्षेत्र में बहुत रुचि ले रही हैं। ब्लॉगिंग के क्षेत्र में भी हिंदी प्रयोग ने खलबली मचा दी है। कम्प्यूटर में डाटाबेस हिंदी में सुलभ है। अब हिंदी के पोर्टल खूब विकसित हो रहे हैं। युनिकोड नामक एक कोडिंग सिस्टम ने हिंदी को अंग्रेजी के समान ही सक्षम बना दिया है। भारतीय बाजार की दशा और दिशा का विस्तार हुआ है। व्यापारिक लाभों और हिंदी–रूपी बाजार के संयोग से यह उपलब्धि संभव हो पायी है।

अतः कम्प्यूटर के प्रचलन से हिंदी के संवर्धन की आशंका निमूल प्रमाणित हुई है। कम्प्यूटर क्रांति के साथ कम्प्यूटर द्वारा सीडी से देश की दक्षिणी भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखी जा सकती है। आज आईआईटी कानपुर को हिंदी प्रयोग में कोई बाधा नहीं है। अब कम्प्यूटर से हिंदी में कार्य करना सरल हुआ है। ऐसे भी सॉफ्टवेर तैयार किए जा रहे हैं जो बोलते हुए हिंदी भाषा सिखाते हैं। इन्टरनेट पर हिंदी का प्रचार–प्रसार तेजी से हो रहा है और हिंदी का बाजार पूरे देश में विकसित हो रहा है। हिंदी के बाजारीकरण से उसके लोकतांत्रिकरण की भूमिका भी जुडी है।

आज हिंदी के ग्लोबल होने के स्वर अधिक सुनाई पड रहे हैं। हिंदी अब अपनी पहचान के लिए आकुल–व्याकुल भाषा नहीं रही वरन् रोजगारोन्मुख भाषा बनने की राह पर तेजी से विकसित हो रही है। अतः आज आवश्यकता है भाषाई निरंतरता को दोबारा रेखांकित कर राष्ट्र का नया नक्शा बनाने की, जिसमें हम अपनी भाषिक रेखाएं अंकित कर सकें।

यह मिथ्या प्रचार है कि अंग्रेजी विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। वास्तविकता तो यह है कि अंग्रेजी सम्पूर्ण पश्चिम यूरोप में भी प्रयोग में नहीं आती है। विश्व की 6 अरब से भी अधिक आबादी में से करीब दो अरब चीनी और हिंदी भाषी है। इतिहास साक्षी है कि हिंदी में सम्पर्क और साहित्यिक भाषा के रूप में उत्तरी भारत ही नहीं, मध्य भारत से भी आगे इसका विस्तार किया। हिंदी को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया गया। फलस्वरूप देश के कोने–कोने में राष्ट्रीय चेतना व्याप्त हो गई थी। क्योंकि हिंदी के माध्यम से ही राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है और समृद्धशाली बनाया जा सकता है। अतः हिंदी को ज्ञान–विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त बनाने और राजभाषा का उपर्युक्त स्थान प्रदान करने वाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना ही होगा।

विगत 50 वर्षों में लाखों–करोड़ों प्रतिभाओं ने इन्जिनियरिंग और डॉक्टर की डिग्रियां अर्जित की हैं, इसकी वजह से ज्ञान की प्रतिभा किसी से कम नहीं है। आज मीडिया और मार्केट ने मिलकर हिंदी को एक नया रूप दे डाला है और जनता उसे स्वीकार कर रही है।

मानवीय मूल्य

भूपेन्द्र कुमार
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

धर्म को मानव और पशु में अन्तर करने वाला बताया गया है। पशु–जीवन का उद्देश्य बड़ा सीमित और क्षुद्र है जबकि मानव–जीवन आदर्शों से प्रेरित होकर उदात्त लक्ष्यों को सामने रखकर चलता है। तभी तो हमारे पूर्वजों ने कहा था –

आहार निद्रा भय मैथुनं च, सामान्यमेंतत पशुभिर्नराणाम।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः॥

यह धर्म पूजा–पाठ वाला धर्म नहीं है अपितु कुछ शाश्वत मूल्यों का आत्मीकरण है। इन जीवनादर्शों की उपेक्षा करने वाला मनुष्य पशुतुल्य है।

सार्वभौम जीवन–मूल्यः–

भारतीय मनीषियों ने मानव–जीवन को सुखी बनाने के लिए गम्भीरता से चिन्तन किया था। उन्होंने कुछ ऐसे मूल्यों की खोज की जो मानव को मानव सिद्ध करने के लिए, अपनाए जाने चाहिए। सत्य, न्याय, परोपकार, दया, क्षमा, शौर्य, सहिष्णुता, इन्द्रियनिग्रह, आस्तिकता, अनासक्ति आदि ऐसे गुण थे, जिनको विचारकों ने मानव–जीवन को मूल्यांकित करने के मानदण्ड माना था। भारतीय जीवन–दृष्टि में भोग की तुलना में त्याग को, बैर की तुलना में प्रीति को तथा पाखण्ड की तुलना में सहजता और सादगी को सदा श्रेष्ठ माना गया है। इन गुणों को शाश्वत जीवन–मूल्य स्वीकार किया गया, जो कि हर देश और काल में मानव–जीवन के लिए उपादेय हैं।

वर्तमान जीवन–दृष्टिः

विज्ञान की प्रगति के साथ–साथ सामाजिक परिवेश और दृष्टिकोण भी बदला। प्राचीन आदर्शों की शाश्वतता पर शंकाएँ होने लगीं। नए जीवन–मूल्यों का निर्धारण होने लगा। प्राचीन जीवन के मूलाधार पर ही चोट होने लगी।

धर्मो रक्षति रक्षितः को संकुचित दृष्टि से देखा जाने लगा। धर्म अपनी व्यापक व्याख्या को खोकर केवल मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों का पर्याय बन गया। आज पुरातन या शाश्वत जीवन–मूल्यों में विश्वास डगमगा रहा है। भोग लालसा, स्वार्थ–सिद्धि, शासन की लिप्सा आदि ने मनुष्य को आदर्शों–विमुख कर दिया है। संतोष, त्यागवृत्ति, आत्मसंयम–सबके सब उपहास के पात्र बन गए हैं।

जीवन–मूल्यों के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोणः

भौतिक सुख–सुविधाओं के आकर्षण ने मनुष्य को आज घोर यथार्थवादी बना दिया है। बातें वह भले ही आदर्शों की करें लेकिन व्यवहार में उसे श्रेष्ठ या शाश्वत जीवन–मूल्यों में विश्वास नहीं रह गया है। कभी युधिष्ठिर ने सुखी जीवन की परिभाषा बताते हुए कहा था ।

"पच्चमेंअहनि षष्ठे वा शाको पचति वै गृहे, अनृणी चाप्रवासी च सा हि वारिचर मोदते॥"

अर्थात पाँचवे या छठे दिन जिसके घर साग बन जाये, जो ऋणी न हो और जिसे विदेश में न रहना पडे ; वही सुखी है। आज तो वैभव की भूख ने मनुष्य को पागल बना रखा है। आज उसका जीवनादर्श **यावज्जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा, घृतं पिवेत** बन गया है। उसे सुखी भविष्य की नहीं, सुखी वर्तमान की चिन्ता है। वह सब–कुछ आज ही पा लेना चाहता है। उसका न ईश्वर में विश्वास है, न स्वर्ग में। वह भस्मीभूत शरीर के पुनरागमन में विश्वास नहीं रखता। पशु–जीवन ही आज मानव का आदर्श बनता जा रहा है।

परिवर्तन के कारणः

जीवन–मूल्यों के प्रति अविश्वास और अनास्था उत्पन्न होने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। भौतिक सुख–सुविधाओं की तीव्र लालसा, पाश्चात्य दृष्टिकोण का प्रभाव, यथार्थवादी चिन्तन और सामाजिक जीवन की जटिलताएँ आदि इस स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। आज मनुष्य सत्य पर असत्य को, न्याय पर अन्याय को, त्याग पर भोग को, संतोष पर लोलुपता को विजयी होते देख रहा है। इस कारण परम्परागत जीवन–मूल्यों की समर्थता और शाश्वतता में उसकी आस्थाएं समाप्त होती जा रही हैं। श्रेष्ठ जीवन–स्तर के नाम पर हर जीवन–मूल्य का बलिदान किया जा रहा है। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन तनावों और आशंकाओं के बीच बीत रहा है। आज की युवा पीढ़ी **चावार्क–दर्शन** की अनुयायी होती जा रही है।

क्या वास्तव में शाश्वतता जैसी कोई स्थिति है? क्या कोई भी जीवन–मूल्य हर काल के लिए शाश्वत हो सकता है? क्या जीने के लिए कुछ मूल्यों या आदर्शों की आवश्यकता है? ये सभी ऐसे प्रश्न हैं, जो हर नए समाज, हर नयी पीढ़ी के मन में घुमड़ा करते हैं। आज के भारतीय समाज में मूल्यों का संकट निरन्तर बढ़ता जा रहा है। संघर्ष, स्पर्धा, रक्तपात, आपाधापी, भोग–लालसा–यही सब–कुछ चारों ओर दिखाई दे रहा है।

यथार्थवादिता के नाम पर मर्यादा का खण्डन करना प्रगतिवादी होने का प्रमाण बन गया है। यह स्थिति धीरे–धीरे हमें पशुता की ओर ले जा रही है। मनुष्यता के भविष्य पर गहराते इस पशुत्व से मुक्ति दिला सकता है तो केवल **धर्म**। लेकिन यह धर्म पूजा और नमाज वाला संकुचित कर्मकाण्ड नहीं हो सकता है। यह तो उदार और विराट मानवधर्म है, जिसके धारण करने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। भारतीय मनीषियों ने इसकी बहुत पहले खोज की थी और यह धर्म आज भी उतना ही शाश्वत है और आश्वस्ति प्रदान करने वाला है।

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

व्यर्थ की होड़

कमल राम प्रजापत
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

ऐसा कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्या नारी पूजा की अधिकारिणी इसलिए है कि वह नर से दो–दो मात्राएं भारी है या फिर उसमें कोई ऐसे विशिष्ट गुण हैं जो उसे नर से श्रेष्ठ, देवताओं के समकक्ष और पूजा के योग्य बनाते हैं। कोख में सृजन और वक्ष में पोषण की संभावना तो सृष्टिकर्ता ने हर स्तनपायी मादा को दी है किन्तु करुणा और ममता, दया और प्रेम उसने केवल नारी के हृदय में ही भरा है। इन श्रेष्ठ भावनाओं ने ही नारी को नर से श्रेष्ठ स्थान दिलवाया है। लेकिन क्या आधुनिक नारी अपनी इस श्रेष्ठता को अक्षुण्ण बनाये रखने के प्रति सजग है या नर के समकक्ष होने की होड़ में वह इन गुणों को ठोकर मारकर पीछे छोड़कर जा रही है।

आज नारी पुरुष की होड़ में अंधानुकरण करती हुई पुरुष के हीन आचरणों और पैशाचिक दुर्गुणों को अपना रही है। आज नारी स्वयं को सिद्ध करने की अपनी जिद करने के आगे स्त्री सुलभ गुणों को बलि दे रही है। उसने सारे परिवार की पूरी काया ही पलट दी है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि स्त्री परिवार की धुरी होती है। परिवार के सुखी या दुखी, संतुष्ट या असंतुष्ट, स्वस्थ या अस्वस्थ होने का दारोमदार अधिकांशतः स्त्री के ऊपर होता है। पुरुष का पालनकर्ता एवं स्त्री का पोषणकर्ता स्वरुप परिवार की रीढ होता है। इनमें से किसी की भी भूमिका गड़बड़ाने पर सारे परिवार की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तब जो स्थिति उभरकर सामने आती है इसका चित्र एक बच्चे के सामने अनजाने में खिच जाता है जो कहता है "मेरे दो पिता हैं" जहां माता –पिता दोनों ही अर्थोपाजन में पिता की भूमिका निभा रहे हैं और परिवार और संतान के स्वस्थ संतुलित विकास की जिम्मेदारी दोनों में से कोई नहीं लेना चाहता वहां माता–पिता का फर्क संतान कैसे समझेंगे।

स्त्री की सोच में यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आया। बचपन से अपनी मां–बहनों–भाभियों की परतंत्रता और घुटन को महसूस करते हुए बडी हुई स्त्री ने आर्थिक आजादी को सुनहरी चाबी के तौर पर इस्तेमाल किया। अपनी मेहनत एवं एकाग्रता के बल पर वह जिस क्षेत्र में भी उतरी है उसने पुरुषों को पराजित किया है। लेकिन बराबरी फिर उपलब्धियों की ही न रह गई। घर–आंगन से परहेज, घर के काम से परहेज, अंधविश्वास से मुक्ति के नाम पर तीज त्योहार व रीति रिवाज से परहेज, मां बनने से परहेज, अस्मिता एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता के नाम पर रिश्ते–नातों एवं पारिवारिक मर्यादाओं से परहेज, ये सभी चीजें नारी के मुक्ति स्तंभ बन गये और परिवार के परखचे उड़ गये।

स्त्री जब पुरुष बनने की दिशा में कदम बढाने लगी तो उसका स्वरुप भी बदल गया। पायल चली गई, कंगन चूड़ी गायब हो गये। बिन्दिया बिछिया गंवारिनों की सजावट रह गये और पैंट जीन्स, टी–शर्ट शरीर की सज्जा बन गये। ये तो हुए बाहरी परिवर्तन इसके बावजूद यदि भीतरी रुप से सुरक्षित रहती तो गनीमत थी, मगर यहां भावनाएँ तो सबसे पहले गायब हो गई। इसलिए परिवार का पूरा भार नौकर–नौकरानियों, प्ले स्कूल चलाने वालों तथा सुपर मार्केट एवं रेस्तराओं पर आ पड़ा। गृहिणी केवल एक संज्ञा रह गई। जिसके साथ किसी भी तरह अपने आपको समानान्तर जोड़ना आधुनिक नारी को स्वीकार नहीं। नतीजा यह हो रहा है कि बच्चे डिब्बे का दूध पीकर बड़े हो रहे हैं पब्लिक स्कूल में तालीम पा रहे हैं फिर उनमें माता–पिता की शख्सियत के रंग क्यों दिखाई दें। ऐसी संतान अगर बड़ी होकर माता–पिता के प्रति कर्तव्य बोध से बिलकुल शून्य हो जाए तो इसमें शिकायत किसकी और किससे की जाए।

घर–गृहस्थी के प्रति उदासीन हो रही आधुनिक नारी का तर्क होता है कि वह अकेली ही घर में क्यों पसीना बहाए, वह भी पुरुष के बराबर कमाई कर के लाती है। वह भी आराम से पैर पसार कर बैठने की हकदार है। वह सब को खिलाकर ही क्यों खाए। सब को सुलाकर ही क्यों सोए। वह ही फिक्र में दुबली–पतली क्यों हो। यह साझी जिम्मेदारी है। इसे अब वह अकेली नही ढोएगी।

वैसे इन दलीलों में दम होता है, मगर तब जब पुरुष स्त्री एक समान हों, पर ऐसा तो नहीं है। प्रकृति स्त्री के प्रति विशेष उदार रही है। उसने स्त्री को शारीरिक दृष्टि से पुरुष से अधिक सशक्त बनाया है। भले ही पुरुष अधिक वजन उठा लेता हो, पत्थर या भाला दूर फेंक लेता हो, परन्तु बीमारियों से जूझने, भावनात्मक तनावों को झेलने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में स्त्री पुरुष से ज्यादा सबल है। यह शरीर विज्ञानियों की सुनिश्चित राय है। जिन कष्टों से पुरुष सहज ही टूट जाते हैं स्त्रियां उन्हें विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लेती हैं। संकट से जूझने और विपरीत परिस्थितियों को चुनौती के रुप में स्वीकार करने में भी स्त्री पुरुष से आगे निकल गई है। उसमें संयम, सब्र और स्वभाव का लचीलापन पुरुष की अपेक्षा अधिक होता है।

गृहस्थी जमाने की आशा स्त्री से इसलिए की जाती है कि गृहस्थी जमाना उसकी जरुरत ज्यादा है। पुरुष स्वभावतः सैलानी होता है। गृहस्थी का बखेडा, उसकी साज–संवार स्त्री की आवश्यकता है। पुरुष उसकी रखवाली कर सकता है। उसे चला या जमा नहीं सकता है। उसके लिए जिस प्रकार के श्रम, संयम और त्याग की आवश्यकता होती है वह स्त्री में जिस मात्रा में होता है वह अपवाद स्वरुप ही पुरुष में होता है। पुरुष जैसा बनने की धुन में गृहस्थी के प्रति अरुचि अपने अंदर पैदा करके स्त्री ने अपना स्वयं का और परिवार का सर्वाधिक अहित किया है।

नारी को समझना यह है कि वह जिस पुरुष के बराबर होने की चेष्टा कर रही है, उससे श्रेष्ठ तो वह स्वयं है बशर्ते कि वह अपने स्वभाविक गुणों को प्रस्फुटित होने दे। देने की जो दिव्य क्षमता उसमें है वह भला बेचारे पुरुष में कहाँ है। वह इतनी शक्तिमती है कि उसके चाहने भर से परिवार जुड सकता है या टूट सकता है। वह इतनी कमजोर क्यों होना चाहती है कि महज पुरुष की कार्बन कापी बनकर रह जाए। प्रकृति ने उसे क्षमा, दया, उदारता, ममता, साहस, कातरता, सहिष्णुता आदि दैवीय गुण दिए हैं जब कि वह कठोरता का नकली आवरण ओढना चाहती है।

वह इस सच्चाई को समझे कि वह पुरुष से श्रेष्ठ है क्योंकि पुरुष जो कर सकता है उसे वह कर सकती है बल्कि उससे भी अधिक कर सकती है – एक नए जीवन का सृजन एवं पालन। जिस पुरुष पर वह अपनी प्रीत एवं सदबुद्धि के जरिए शासन कर सकती है, अपने श्रेष्ठ गुणों से वशीभूत कर सकती है उसके समकक्ष बनने की वह जिद क्यों कर रही है। क्यों नहीं वह अपनी स्वयं सिद्धि श्रेष्ठता को प्रमाणित करने में अपनी शक्ति खर्च करती है।

प्रेमचंद ने लिखा है "जब पुरुष में स्त्री के गुण आ जाएं, तो वह देवता बन जाता है और जब स्त्री में पुरुष के गुण आ जाएं, तो वह कुलटा बन जाती है।" स्त्री के स्वभाविक गुण जब पुरुष को देवता बना सकते हैं तो स्वयं स्त्री को वे किस उंचाई तक पहुंचा सकते हैं यह सोचने की बात है।

सौरभ वालिया
कार्यालय अधीक्षक

माँ

माँ के बारे में कुछ लिखने
का सोचा
तो मेरी कलम कांपने लगी
और कलम ही क्या मेरी
तो रूह तक कृतज्ञता से
भर गई
जब संवेदना माँ के
बलिदानों को भाँपने लगी
अंधेरे से डर था तो अखंड ज्योत है वो
कि अब सांसे भी अंधेरों को नापने लगी
उनका आशीर्वाद, उनका सर पर हाथ रख देना ही मात्र
इतना बलदाई है कि मेरे जीवन की कठिन से कठिन
मुसीबतें भी उम्मीद का दामन थामने लगीं
जीवन के बवंडर में वो सुकून का आंचल हैं
सवालों की लहरों वो हौसले की कश्ती है
जीवन के तूफानों में वटवृक्ष शटल चल है
वह वही मेरा कल थी वही मेरा आज है
वही मेरा कल होंगी वह है तो मेरी हस्ती है।
दुख-दर्द रोग पीड़ा आदि सबसे वह भी है जूझतीं
फिर भी संतान के चेहरे पर शिकन नहीं आने देतीं
हर वक्त हमें एक बेहतर इंसान बनने
के लिए प्रोत्साहित है करतीं
देवी हैं वो ढाल है वो उत्साह, उमंग
और साहस की मिसाल है वो।

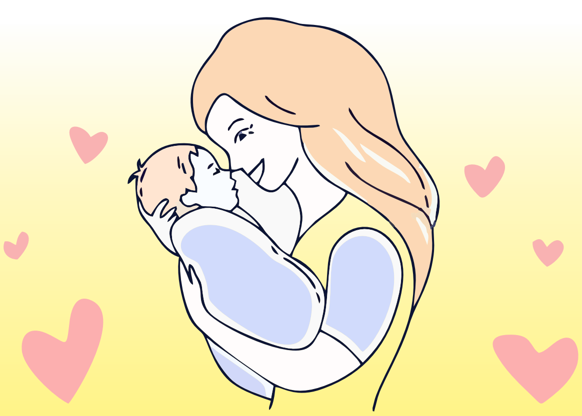

संकल्प

छोटे-छोटे कदम लेते हुए,
बनना है कुछ तो तू विशाल बन

अंधेरों से जूझते हुए अंधेरों को परास्त करते हुए,
बनना है कुछ तो तू मशाल बन

पथ में पाषाण आए अनेक उन्हें पार करते हुए,
बनना है कुछ तो तू अपनी ढाल बन

जहां भी है जिस भी रूप में
कर्म पथ पर अग्रसर होते हुए,
बनना है कुछ तो तू अपने लिए
एक मिसाल बन

मेला है ये चेहरों का, चेहरों में आइना ढूंढ़ते ढूंढ़ते,
बनना है कुछ तो तू इंसान बन

चुनौतियों से लड़ेंगे हम और जीतेंगे भी,
मगर लड़ते लड़ते
बनना है कुछ तो इस देश के प्रति समर्पित
वीर लाल बन।

छोटे-छोटे कदम लेते हुए,
बनना है कुछ तो तू विशाल बन

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

तुझे जीतने की जिद में सब हार चला हूँ मैं

अभिनव गुप्ता
कार्यालय अधीक्षक

तेरा साथ पाने के जो अरमान थे, सब मार चला हूँ मैं,
तुझे जीतने की जिद में सब हार चला हूँ मैं।

तेरे मन को जाने बिना ही, पाने तेरा प्यार चला हूँ मैं,
दिखाके प्यार का घोंसला पिंजरे लिए हजार चला हूँ मैं।

थोप के अपनी पसंद तुझपे पाने तेरा प्यार चला हूँ मैं,
प्रेम को भी रण समझके लिए तलवार चला हूँ मैं।
तुझे जीतने की जिद में सब हार चला हूँ मैं

कुटिल समझ सावन की तरह, भूल प्यार की बहार चला हूँ मैं,
इकरार को समझ मूछ का सवाल, युद्ध–सा लिए बवाल चला हूँ मैं।

इनकार की हिम्मत करेगी कैसे, जो साथ में लिए तेजाब चला हूँ मैं,
तुझे जीतने की जिद में सब हार चला हूँ मैं

जो इकरार भी किया तूने, तो तुझे ही छिपाने को बुरखा
और हिजाब लिए चला हूँ मैं

प्यार है न मेरे मन को तुझसे या जीत की हवस का लिए ख्वाब चला हूँ मैं,

तेरे जिस्म पे अपने अहम का महल बनाके, तेरे मन को किये खाक चला हूँ मैं।

तुझे जीतने की जिद में सब हार चला हूँ मैं

तुझे पा के भी अकेला सा लगता है, क्या सच में तेरे साथ चला हूँ मैं,

तेरी देह तो जीत ली है मैंने, क्यों रूह का साथ न मिला,
ये खुद से लिए सवाल चला हूँ मैं,

तुझे जीतने की जिद में सब हार चला हूँ मैं

जिता के अपने अहम को, अपनी भी रूह को मार चला हूँ मैं,

तुझे जीतने की जिद में सब हार चला हूँ मैं...

तुझे जीतने की जिद में सब हार चला हूँ मैं...

...अभिनव अंबाला

मेरा शहर

कमल कान्त मीना
सहायक निदेशक (प्र.रा.भा.)

मेरे देश में मेरा शहर, इस दुनिया का दर्पण है।
आने वाले लोग यहां पर दर्शन बापू का करते हैं।
बापू जी का दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं।
साबरमती आश्रम यहां पर साबरमती किनारे है।
रिवरफ्रंट का लेने आनंद बच्चे बूढ़े घूमने आते हैं।
बापू जी का दर्शन करके---

कभी आशावल कभी कर्णावती, अब अहमदाबाद प्यारा है।
बदले नाम समय ने कितने, लम्बा सफर कराते हैं।
बापू जी के दर्शन करके---

जब सो जाता नींद में इसके ही सपने आते हैं।
मेरे देश का सबसे प्यारा, चमन यही कहलाता है।
बापू जी का दर्शन करके---

गुजराती यहां की बोली प्यारी मनभावन मतवाली है।
राजभाषा हिंदी का यह, यह मेरा शहर दीवाना है।
बापू जी का दर्शन करके---

कांकरिया झील किनारे अटल रेल यहां चलती है।
छुक छुक चलती गाड़ी में बच्चों की मुस्कान है।
बापू जी का दर्शन करके---

एक प्रयास करो आने का जीवन में बहार आ जायेगी।
बीचों बीच शहर के अंदर जामा मस्जिद का नजारा है।
बापू जी का दर्शन करके---

झूलती हुई मीनारें यहां पर हठी सिंह का मंदिर है।
सीदी सैय्यद की जाली देख के दर्शन भद्र काली करने है।
बापू जी का दर्शन करके---

शाही बाग पैलेस देखकर गांधी आश्रम भी देखे हैं।
महापुरुषों का शहर है यह प्रण कर हम सब हिंदुस्तानी गीत इन्हीं के गाते हैं।
बापू जी का दर्शन करके---

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

नयी शिक्षा नीति

बबलेश मीना
सहायक निदेशक

शिक्षा औपचारिक या अनौपचारिक, हमेशा से मानव सभ्यता के विकास का एक प्रमुख उपक्रम रही है। अपने मूल स्वरुप में शिक्षा का तात्पर्य ही है "सीखने की प्रक्रिया में मूल्यों का समावेशन", यहाँ मूल्यों से तात्पर्य यह नहीं है की स्थापित और तय चीजें ही मानक रूप में बताई जाएं बल्कि राष्ट्रीय उद्देश्य, सार्वभौमिक धारणाएं व नैतिक मान्यताओं के आलोक में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही मूल्य का सही संदर्भ है।

"तालीम का असर है, ऊँचा हमारा सर है"

स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, इन्हीं चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे की 1986 की शिक्षा नीति में क्या खामियां रह गयी थी जिन्हें दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 लाने की आवश्यकता पड़ी, नई शिक्षा नीति के साथ ही मानव संसाधन का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है वर्तमान नीति अन्तरिक्ष वैज्ञानिक कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट पर आधारित है, नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जी.डी.पी. के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

स्कूल सम्बन्धी प्रावधान

नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 संरचना वाली शैक्षणिक रचना का प्रस्ताव किया गया

5 वर्ष – 3 वर्ष का पूर्व प्राथमिक और कक्षा 1 व 2

3+3 – प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर

4 – कक्षा 9 से 12

इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषय एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच अधिक अंतर नहीं होगा।

सरकार ने यू.जी.सी. के स्थान पर एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का लक्ष्य रखा है। आयोग को उच्च शिक्षा संस्थानों को डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति होगी। एच.ई.सी. अधिनियम को यू.जी.सी. की शक्तियां स्थानांतरित की जाएंगी। इस अधिनियम से आयोग को विदेशी संस्थानों के भारत में अपनी शिक्षा प्रारंभ कराने पर लचीला रवैया अपनाने का अधिकार मिलेगा। इसके माध्यम से भारत के शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने वाले किसी भी संस्थान का देश में स्वागत किया जा सकेगा।

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति ने वित्त वर्ष 2025–26 तक के लिए स्कूल शिक्षा कार्यक्रम "समग्र शिक्षा योजना 2.0" को मंजूरी दी है, इसका उद्देश्य समावेशी न्यायसंगत और सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना है। यह सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा की तीन योजनाओं को समाहित करता है। सरकार द्वारा उठाये गये यह कदम सराहनीय हैं एक तरफ जहाँ भारत अपनी आजादी के 75 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है जिसे भारत सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है और नई शिक्षा नीति को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है की भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर चुका होगा उस समय ये शिक्षा नीति भारत को एक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

एक वैक्सीन बनाओ न्यारी

महेन्द्र पाल मीणा
सहायक निदेशक

एक वैक्सीन बनाओ न्यारी, लालच दूर भगाने की
रिश्वतखोरी मिट जाये, ईमान धरा पर लाने की।
एक वैक्सीन बनाओ न्यारी ----

भेदभाव करते रहते, जो बैठ के ऊंची पदवी पर
ऐसे घमंडी लोगों को, कुर्सी का मान बढ़ाने की।
एक वैक्सीन बनाओ न्यारी ----

सत मार्ग पर चलते रहकर, अपनी मेहनत का खाने की
जैक चैक बिन काम ना करते, उनका जमीर जगाने की।
एक वैक्सीन बनाओ न्यारी ----

भूल चुके मर्यादा अपनी, राम भरत के प्रेम की
भाई भाई में बढ़ी दुश्मनी, इनमें प्रेम जगाने की।
एक वैक्सीन बनाओ न्यारी ----

पंथा पंथी में उलझे रहते, उनका भरम मिटाने की
नर नारी सब सम दुनियां में, ऐसा अलख जगाने की।
एक वैक्सीन बनाओ न्यारी ----

बिन मतलब ही लड़ते रहते, ऐसे झगड़े मिटाने की
रोज रोज की माथापच्ची सास बहू के झगड़े की।
एक वैक्सीन बनाओ न्यारी ----

आलस करके सोते रहते, उनको जल्दी उठाने की
मात पिता पर धौंस जमाते, उनको शीश झुकाने की।
एक वैक्सीन बनाओ न्यारी ----

मात गर्भ में कथा सुने यूं, अभिमन्यु सा बनने की
शीश कटे पर झुके नहीं, यूं अपना शौर्य दिखाने की।
एक वैक्सीन बनाओ न्यारी ----

महेन्द्र मीणा बिलौना वाले आपसे, हाथ जोड़ निवेदन करता है
घट घट अंदर छुपी हुई, चेतना नई जगाने की।
एक वैक्सीन बनाओ न्यारी ----

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

पड़ोसन का नीला दुपट्टा

भगवान सहाय मीना
सहायक निदेशक
हिंदी शिक्षण योजना, अहमदाबाद

मोहल्ले में नयी बहुत ही खूबसूरत और जवान पड़ोसन आकर आबाद हुई। पड़ोसन ने धीरे धीरे मोहल्ले के घरों में आना जाना शुरू किया।

एक दिन वह पड़ोसन सब्जी वाले की दुकान पर शेख साहब को मिली। उसने खुद आगे बढ़कर शेख साहब को सलाम किया, शेख साहब को अपनी किस्मत पर नाज हुआ, पड़ोसन बोली, "शेख साहब, बुरा न माने तो आपसे कुछ मश्वरा करना था?"

शेख साहब खुशी से बावले हो गए, वजह ये भी थी कि उस पड़ोसन ने आम अनजान औरतों की तरह भाई नहीं कहा था, बल्कि शेख साहब कहा था! शेख साहब ने बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी छुपाते हुए मोतबर अंदाज में जवाब दिया "जी फरमाइए!"

पड़ोसन ने कहा कि, "मेरे शौहर अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, मैं इतनी पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, बच्चों के एडमिशन के लिए आपकी रहनुमाई की जरुरत थी!" वो आगे बोली, "यूं सड़क पर खडे होकर बातें करना ठीक नहीं है, आपके पास वक्त हो तो मेरे घर चलकर कुछ मिनट मुझे समझा दें, ताकि मैं कल ही बच्चों का एडमिशन करा दूँ!"

खुशी से बावले हुए शेख साहब चंद मिनट तो क्या सदियां बिताने को तैयार थे, उन्होंने फौरन कहा कि जी, जरूर चलिए!

शेख साहब पड़ोसन के साथ घर में दाखिल हुए, अभी सोफे पर बैठे ही थे कि बाहर स्कूटर के रुकने की आवाज सी आयी।

पड़ोसन ने घबराकर कहा, "या अल्लाह, लगता है मेरे शौहर आ गए, उन्होंने यहाँ आपको देख लिया तो वो मेरा और आपका दोनों का कत्ल ही कर डालेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे, आप एक काम कीजिए वो सामने कपड़ों का ढेर है, आप ये नीला दुपट्टा सर पर डाल लें और उन कपड़ों पर इस्त्री करना शुरू कर दें, मैं उनसे कह दूँगी कि इस्त्री वाली मौसी काम कर रही है!"

शेख साहब ने जल्दी से नीला दुपट्टा ओढ़कर शानदार घूंघट निकाला और उस कपडे के ढेर से कपडे लेकर इस्त्री करने लगे, तीन घंटे तक शेख साहब ने ढेर लगे सभी कपड़ों पर इस्त्री कर डाली थी। आखरी कपडे पर इस्त्री पूरी हुई तब तक पडोसन का खुर्रांट शौहर भी वापस चला गया था।

पसीने से लथपथ और थकान से निढाल शेख साहब दुपट्टा फेंक कर घर से निकले। जैसे ही वो निकल कर चार कदम चले, सामने से उनके पडोसी मिर्जा साहब आते दिखाई दिए। शेख साहब की हालत देख कर मिर्जा साहब ने पूछा, "कितनी देर से अंदर थे?" शेख साहब ने कहा "तीन घंटों से, क्योंकि उसका शौहर आ गया था, इसलिए तीन घंटों से कपड़ों पर इस्त्री कर रहा था!"

मिर्जा साहब ने आह भर कर कहा, "जिन कपड़ों पर तुमने तीन घंटे घूंघट निकाल कर इस्त्री की है उस कपड़ों के ढेर को कल मैंने चार घंटे बैठ कर धोया है, क्या तुमने भी नीला दुपट्टा ओढ़ा था?"

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

महात्मा गाँधी, फुटबॉल और राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव

लीलानंद बलूनी
सहायक,

दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी के फुटबॉल से लगाव का बहुत ज्यादा दस्तावेजीकरण नहीं हो पाया। लेकिन वहां की वाचिक परंपरा में गांधी एक ऐसे शख्स के तौर पर याद किये जाते हैं जिन्होंने न केवल अफ्रीकी अश्वेतों और प्रवासी भारतीयों को फुटबॉल से जोड़ा बल्कि दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान बहुरंगी खेल संस्कृति की नींव रखी।

फुटबॉल से बापू का लगाव

महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में अपने बचपन का जो वर्णन करते हैं उससे कहीं यह नहीं लगता कि वे किसी खेल में कोई विशेष रुचि रखते थे। 18 साल की उम्र में अपना गृहनगर पोरबंदर छोड़कर वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। यही वह वक्त था जब फुटबॉल का उभार यूरोप में अपने चरम पर था। फुटबॉल एसोसिएशन को वैधानिक दर्जा मिल चुका था और व्यावसायिक क्लब खिलाड़ियों को प्रोफेशनल का दर्जा देने लगे थे। गांधीजी की भी इस सब पर नजर थी और वे समझ चुके थे कि जल्द ही इंग्लैंड में फुटबॉल क्रिकेट से ज्यादा देखा जाने वाला खेल हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट (जहां गांधीजी ने अपना पहला आश्रम बनाया था) के आधिकारिक गाइड सीठोले फुटबॉल पैराडाइज से बातचीत में कहते हैं, 'इंग्लैंड में रहने के दौरान ही गांधीजी फुटबॉल की ताकत को समझ चुके थे।'

लेकिन फुटबॉल को राजनीतिक चेतना के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका गांधीजी को दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद ही सूझा। 1893 में अपनी कानून की पढ़ाई पूरी कर जब वे दादा अब्दुला एंड कंपनी के वकील बनकर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए तो उनके मन में एक नए देश को जानने की उत्सुकता थी। लेकिन जहाज के तट पर पहुंचते ही उनका भ्रम टूट गया। 'दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह' में गांधी लिखते हैं, 'जहाज के तट पर पहुंचते ही महसूस हुआ कि यहां भारतीयों का कोई सम्मान नहीं है।'

इसके बाद वह वाक्या हुआ जिसमें ट्रेन में पहले दर्जे का टिकट लेने के बाद भी गांधीजी को तीसरे दर्जे में सफर करने को कहा गया और विरोध करने पर उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। इसी घटना ने गांधीजी के महात्मा होने की बुनियाद डाली। गांधीजी ने ठान लिया कि वे दक्षिण अफ्रीका में वंचित और भेदभाव के शिकार लोगों के लिए संघर्ष करेंगे।

फुटबॉल सत्याग्रह का औजार बना

अहिंसा और सविनय अवज्ञा महात्मा गांधी के प्रमुख हथियार थे। फिर उनकी नजर फुटबॉल पर भी गई जो उस वक्त अफ्रीका में कमजोर और मजदूर वर्ग में लोकप्रिय खेल था। उनके मनोरंजन का यही एकमात्र जरिया था। मैच के दौरान काफी भीड़ जुटती थी। गांधीजी ने भांप लिया कि इस खेल में सामूहिकता का जो तत्व है वह नस्लभेद के खिलाफ उनकी लड़ाई में काफी मददगार साबित होगा। इतिहास के शोधकर्ता और केंद्रीय विद्यालय में प्रवक्ता अनुपम शुक्ल कहते हैं, 'जैसे-जैसे दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी की सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगीं, वैसे-वैसे फुटबॉल में उनका रुझान बढ़ने लगा। वे तमाम मैच देखने जाने लगे और वहां मौजूद अफ्रीकी और भारतीयों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने लगे। मैच देखने आई भीड़ को वो समझाते थे कि कैसे अहिंसा और सत्याग्रह के जरिये हमें उन गोरों से समान अधिकार लेने हैं जो हमें दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं।'

धीरे–धीरे नस्लभेद के कानून से अहिंसा के जरिये लड़ने वाले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के भारतीय समुदाय के सर्वमान्य नेता हो गए। 1904 के आसपास उन्होंने डरबन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में तीन फुटबॉल क्लबों की स्थापना में मदद की। इन तीनों का नाम रखा गया पैसिव रजिस्टर्स क्लब। हालांकि दुर्भाग्य से इनसे जुडे ज्यादा दस्तावेज संभाले नहीं गए। लेकिन डरबन के ओल्ड कोर्ट म्यूजियम में खिलाड़ियों के साथ उनकी तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरों में वे मैच देखने जुटी भीड़ को संबोधित भी कर रहे हैं।

इस खेल में गांधीजी की निजी दिलचस्पी

2010 में दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप के आयोजन के समय फीफा ने महात्मा गांधी को एक 'फुटबॉल लेजेंड' बताया। यह भी दिलचस्प है कि गांधीजी को अपना आदर्श मानने वाले नेल्सन मंडेला भी 2010 के फीफा फाइनल में मौजूद थे। गांधी और फुटबॉल, दोनों में दिलचस्पी रखने वाले अक्सर इस पर बहस करते हैं कि गांधीजी के लिए फुटबॉल सामाजिक–राजनीतिक बदलाव का जरिया भर था या इस खेल में उनकी कोई निजी रुचि भी थी। 2010 में साउथ अफ्रीकन इंडोर फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसीडेंट पी गोविंदस्वामी एक बातचीत में कहते हैं, 'इसमें कोई शक नहीं कि फुटबॉल के जरिये गांधीजी सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा जैसे मकसद हासिल करना चाहते थे क्योंकि उस समय फुटबॉल के साथ टीम गेम का विचार बहुत गहरे से जुड़ा था और स्टार खिलाड़ी कल्चर दूर दूर तक न था। यही सामूहिकता और साथ में मिलकर कुछ हासिल करने का जुनून उन्हें सबसे ज्यादा प्रेरित करता था। लेकिन यह कहना गलत होगा कि गांधीजी के लिए फुटबॉल मैच सिर्फ जनसंवाद और सविनय अवज्ञा आंदोलन के पर्चे बांटने की जगह थे। वे खुद इस खेल में गहरी रुचि रखते थे और इससे उन्हें आध्यात्मिक शांति मिलती थी।'

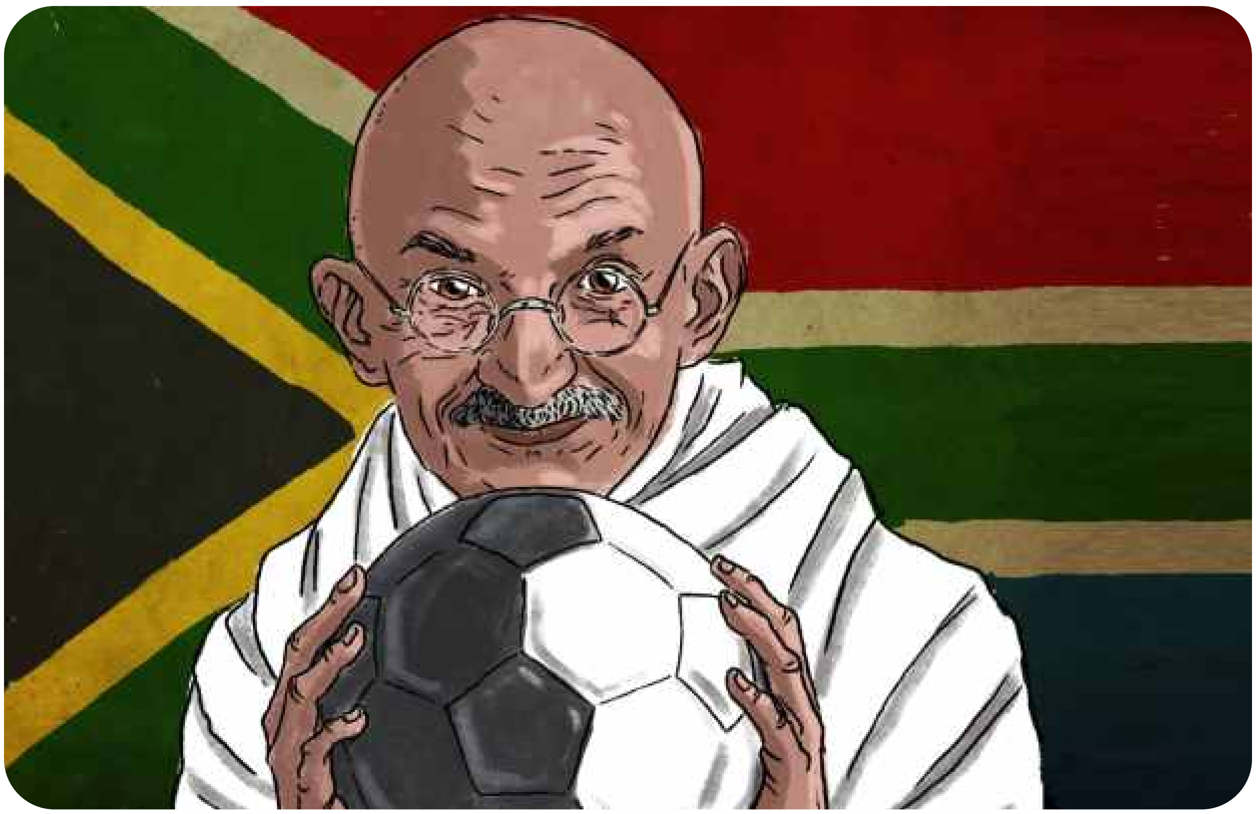

स्थित प्रज्ञ

एस. डी. महेता
उच्च श्रेणी लिपिक

एक व्यक्ति बहुत अशांत रहता था, उसका मन किसी कार्य में नहीं लगता था, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में जाने का आकांक्षी था। किन्तु कामनाएँ उसे सदा घेरे रहती थी। भटकते हुए एक बार संत की कुटिया में पहुँचा और अपनी व्यथा सुनाने लगा। संत ज्ञानी थे वे उसकी व्यथा को समझ गए और उन्होंने विचार किया कि इस व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से सत्य के मार्ग की दिशा बता देनी चाहिए। उसकी बुद्धि को स्थिर करने के विचार से संत ने कहा कि, "मुझे सत्य की अनुभूति हो रही है, कि सात दिन के भीतर संसार से तुम्हारी मुक्ति हो जाऐगी, इसलिए तुम शीघ्र अपने आवश्यक कार्यों को निपटा लो।" यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया और उसकी सांस तेजी से चलने लगी। वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करुं और क्या न करुं। वह अपने घर, परिवार रिश्ते –नाते, सुख, वैभव और सांसारिक बंधनों से एकदम अलग सा हो गया। हर क्षण वह अपनी मृत्यु के बारे में ही सोचने के लिए विवश हो गया। उसकी चंचलता और विवेकहीनता समाप्त हो गई।

इस प्रकार पूरे सात दिन बीत गए परन्तु उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वह अपने आपको हल्का–फुल्का महसूस करने लगा। अब वह संत की कुटिया में दुबारा पहुंचा और बोला स्वामी जी सात दिन बीत गए किन्तु मेरी मृत्यु नहीं आयी, संत उसे देखकर मुस्कुराए और बोले कि तुमने सात दिनों तक क्या किया, वह व्यक्ति बोला कि मैं एक स्थान पर एकान्त वास करता रहा और केवल मृत्यु को ही याद करता रहा, मुझे हर क्षण मृत्यु का ही ध्यान रहा। इसके अलावा और मेरी कोई इच्छा नहीं हुई। संत ने कहा कि, मैं भी मृत्यु को हमेशा याद रखता हूँ और इससे सांसारिक बंधनों से मुक्त रहता हूँ। संत ने कहा कि अब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो गई है। मैं इस युक्ति से तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने की दिशा का ज्ञान कराना चाहता था। संत ने कहा कि जिस प्रकार कछुआ अपने संपूर्ण अंगों को छिपाकर कवच के भीतर समेट लेता है उसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी संपूर्ण सांसारिक इच्छाओं को वश में कर लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसका विवेक जग जाता है। वह ध्रुव के समान दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है। गीता में ऐसी स्थिति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है।

संत ने कहा कि हमारे मन में अच्छे और बुरे विचार रहते हैं। जो व्यक्ति सद्गुणों को ग्रहण करता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है और जो व्यक्ति अवगुणों का अनुसरण करता है उसका जीवन कष्टों से घिरा रहता है। संत की कृपा से व्यक्ति को अपनी राह मिल गई। वह अपने को धन्य समझने लगा।

धुंध

राजीव रंजन शर्मा
अवर श्रेणी लिपिक

जीवन धुंध है,
पानी है।

तस्वीरें सच कहती हैं,
आईने की भी अपनी
कहानी है।

नम फिजां है यूँ,
जैसी आंखों की
रवानी है।

बिछड़े भी तो उससे क्या,
अपनी भी अलग कहानी है।

कह भी दिया होता तब,
जो अनकहा रह गया जुबाँ पर।

लेकिन, उससे क्या?
यही तो अपनी कहानी है,

यही तो जिंदगानी है,
यही तो जिंदगानी है॥

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

गंगा की दुर्दशा - गंगा की पुकार

डॉ. संजय वंश
(विशेषज्ञ – ई.एन.टी.)
चिकित्सा अधीक्षक
क.रा.बी.नि. अस्पताल, वापी

सुन्दर गंगोत्री शैल शिखर, उदगम स्थान हमारा।
विक्रमी वीर कर्ण जैसे जाने कितनों को तारा॥

पुण्य हो या पापी जन, तर्पण सभी का है किया।
मजहब से होकर इतर, निर्मल जल सभी को है दिया॥

सींच दी फसलें सभी की, ना भेद जन–मन में किया।
मैला किया सबने मुझे, क्यों सबने मिल धोखा दिया॥

मैं कल्याण के हित आई थी, विस्तार के हित आई थी।
सबका भला करने को, निर्मल जल की धारा लायी थी॥

हर शहर हर गाँव के, नालों से मुझको भर दिया।
किनारों से मेरे बंधकर, सीमित है मुझको कर दिया॥

जीवन है मैंने दे रखा, इस लोक के कल्याण में।
धारा को मेरी रोक डाला, बांध और श्मशान में॥

अवशिष्ट, कूड़ा, लाश पशुओं की बहाये जा रहे।
कारखानों के जहर है, मुझमें छोड़े जा रहे॥

गंगोत्री, भागीरथी, गंगा और कहीं हुगली हूँ मैं।
मंत्रालयों एवं समितियों में, आज भी उलझी हूँ मैं॥

है मानव छली अब रहम कर, क्यों न आती है तुझे।
निर्मल थी मैं, अविरल थी मैं, नाला बना डाला मुझे॥

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी / कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और मेरा अनुभव

अर्जुन सी. दैया
सहायक

'अनुवादक' शब्द सुनते या बोलते ही मन में एक विनम्र, सहज एवं सरल व्यक्तित्व की छवि उभरती है। कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी की, जो हर समय, हर घड़ी, कार्मिकों को अनुवाद में आने वाली दुविधा को दूर करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं वह भी बिना किसी स्वार्थ के। स्वार्थ से तात्पर्य है कभी कभार कार्य से मिलने वाली प्रशंसा।

किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है। अनुवाद के लिए भाषांतर और रूपान्तर का प्रयोग भी किया जाता रहा है लेकिन अब इन दोनों ही शब्दों के नए अर्थ और उपयोग प्रचलित हैं। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, वह 'मूलभाषा' या 'स्त्रोतभाषा' है, उससे जिस नई भाषा में अनुवाद करना है, वह 'प्रस्तुतभाषा' या 'लक्ष्यभाषा' है। इस तरह स्त्रोत भाषा में प्रस्तुत भाव या विचार को बिना किसी परिवर्तन के लक्ष्यभाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है।

पिछले कुछ दशकों से केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं और संबंधित क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण विविधता आयी है। सरकारी सेवा संबंधी विभिन्न नियमों, विनियमों में भी कई परिवर्तन हुए हैं। इस निरंतर परिवर्तनशील परिदृश्य में, प्रशासनिक कार्य प्रभावी रूप से करने, समस्त परिवर्तनों की अद्यतन जानकारी रखने और अभ्यार्थियों के कार्य के वास्तविक ज्ञान का आकलन करने के लिए कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्तियां की जाती हैं।

कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों, अधिनियम, संकल्प, नियम की अपेक्षानुसार तथा राजभाषा विभाग भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं मुख्यालय द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के साथ–साथ निम्नलिखित कार्य करते हैंः–

- शाखा में प्राप्त अनुवाद सामग्री का अनुवाद
- तकनीकी सामग्री का अनुवाद करना
- यथा निर्धारित हिंदी रिपोर्ट तैयार करना
- सभी हिंदी प्रोत्साहन या पुरस्कार योजनाओं के संबंध में समग्र कार्रवाई करना
- कार्मिकों के लिए अपेक्षित हिंदी भाषा/टंकण/आशुलिपि/कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने हेतु कार्रवाई करना
- विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति/हिंदी सलाहकार समिति/नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संबंधी सम्पूर्ण कार्रवाई करना
- संसदीय राजभाषा समिति, श्रम मंत्रालय, गृह मंत्रालय, निगम मुख्यालय या अपने कार्यालय की ओर से किए जाने वाले राजभाषा निरीक्षण संबंधी कार्रवाई करना
- कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन संबंधी सम्पूर्ण कार्रवाई करना
- शाखा में प्राप्त हिंदी रिपोर्ट की समीक्षा करना
- क.रा.बी.निगम तथा स्थायी समिति की बैठकों हेतु राजभाषा संबंधी मद तैयार करना

उपरोक्त के साथ, हिंदी अनुवाद के अलावा राजभाषा हिंदी के अन्य कामकाज जैसे हिंदी दिवस, हिंदी पखवाडा मनाना, हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना, गृह पत्रिका का संपादन करना, हिंदी तिमाही बैठकों का आयोजन, आदि अन्य कार्य भी वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा किये जाते हैं।

कई बार अनुवाद सामग्री ढेर एवं समयबद्ध तौर पर मिलती है जिसका अनुवाद करने हेतु कितना समय लगता है वो तो अनुवाद अधिकारी ही बता सकते हैं एवं उस समय उनकी मनोस्थिति का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। किन्तु कर्मचारी स्वयं द्वारा हिंदी में किये जा रहे कार्य के समय एक शब्द में आने वाली दुविधा से यह अनुमान लगा सकते हैं, कि हिंदी अनुवाद भी कोई सरल बात नहीं है।

अतः कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, क.रा.बी.निगम एवं किसी भी कार्यालय के प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का सुचारू उपयोग करवाने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

तमाशा

राजीव रंजन शर्मा
अवर श्रेणी लिपिक

यूँ तो उसके माँ–बाप ने उसका नाम बड़े प्यार से हरगोविंद रखा था, लेकिन सब उसे हरखू ही कहते थे। बाप भीखू मजदूरी करता था। हालाँकि भीखू के बाप ने भी उसका नाम बड़े प्यार से कुछ न कुछ तो जरूर रखा होगा, लेकिन हरखू अपने बाप को जीवन भर इसी नाम से जानता रहा। हरखू को याद है, जिस दिन भीखू मरा, हरखू का खेलना–कूदना उसी दिन से बंद हो गया। अब उसे अपने बाप की जगह खेतों में मजदूरी करने जाना पड़ता। जिन हाथों में अभी कुछ दिनों पहले तक गिल्ली–डंडा हुआ करते थे, अब उन्हीं हाथों से उसे खेतों में निराई करनी पड़ती, घास साफ करने पड़ते। थक जाने पर खेत के मालिक की झिड़कियाँ सुननी पड़ती। वैसे वो उस खेत के मालिक को पहचानता था। उसका बेटा शिवा उसके साथ कभी–कभी खेलता था। उसकी माँ देख लेती, और उसे खींच कर ले जाती। "पता नहीं, इसे इन गंवार बच्चों के साथ क्या मजा आता है!" शिवा को खींच कर ले जाते हुए उसने कितनी ही बार उसकी माँ के मुँह से ये सुना था। आज वो उनके खेतों में काम कर रहा था। उनके खलिहानों में अनाज जमा कर रहा था, जो आखिर में शिवा के घर की रसोई में भी जाने वाला था और फिर उस डांटने–झिड़कने वाले श्रीनाथ बाबू की थाली में भी।

धीरे–धीरे हरखू को इन सब कामों की आदत पड़ने लगी। अब वो सब काम भी सीख गया था और सब कुछ अपने मन से अच्छे से करने लगा था। हरखू अब बड़ा भी हो गया था। वो अकेले ही श्रीनाथ बाबू की पूरी गौशाला का काम कर डालता। हरखू की लगन देखकर श्रीनाथ बाबू उसे अपने साथ मंडी भी ले जाने लगे। वो बैलगाडी पर अनाज की बोरियां भरता, और बैलों को हाँकते हुए मंडी की तरफ ले चलता। श्रीनाथ बाबू अपने बड़े बेटे ईश्वरी के साथ उसकी मोटरबाइक के पीछे बैठकर मंडी पहुँचते। ईश्वरी श्रीनाथ बाबू का बड़ा लड़का था। लेकिन, नाम के विपरीत उसके व्यवहार में ईश्वरीय गुणों का सर्वथा अभाव था। शायद श्रीनाथ बाबू ने इसी उम्मीद में उसका नाम ईश्वरी रखा हो कि शायद उसके नाम की परछाई उसके व्यवहार में भी पड़ जाए, लेकिन अब तक गाँव में उसके द्वारा किये गये झगडे–टंटों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता था कि श्रीनाथ बाबू उसका नाम ईश्वरी रख के उसके व्यवहार में थोडा भी बदलाव ला पाने में सफल रहे हों।

ईश्वरी को हरखू से एक अलग ही तरह की चिढ़ थी। शायद उसकी चिढ़ में उसकी माताजी के शिवा को बचपन में हरखू से दूर रखने की कोशिश का योगदान रहा हो। शिवा भी अब बड़ा हो गया था और शहर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। एक–दो महीनों में गाँव आता, श्रीनाथ बाबू से खर्च के पैसे और अपनी माँ से सूखा नास्ता लेकर एक सप्ताह में फिर शहर लौट जाता। इस दौरान हरखू दिख जाए तो उससे हाल–चाल पूछ लेता। हरखू से बात करते हुए शिवा हमेशा मुस्कुरा कर बात करता। हरखू कुछ कह तो नहीं पाता, लेकिन कभी–कभी सोचता, क्या वो मुझसे बात करके खुश होता है, इसलिए मुस्कुराता है। या फिर, उसके हाल पर हँस रहा हो। गाँव में तो कोई कभी भी उससे इस तरह बात नहीं करता, यहाँ तक कि खूब पसीना बहाकर काम करने पर भी श्रीनाथ बाबू उससे अच्छे से बात न करते थे। ये शिवा ऐसा क्यों करता है! फिर वो अपने सर को झटक कर पुनः अपने काम में लग जाता।

उसे इन बड़े लोगों से क्या लेना–देना। उसे तो बस अपनी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन के पालन–पोषण के लिए उनके यहाँ नौकरी करने से मतलब है। शिवा खूब मेहनत से पढ़ा और कलेक्टर बन गया। आस–पास पूरे इलाके में श्रीनाथ बाबू के नाम के झंडे लहराने लगे। इसी बीच शिवा की शादी के लिए पास के गाँव के जमींदार साहब के घर

से उनकी बेटी का रिश्ता आया। लगे हाथों रिश्ता पक्का भी हो गया, सारे ग्रह–नक्षत्र भी मिला लिए गये। जब लेन–देन और अन्य सारी बातें तय हो जाएँ तो ग्रह–नक्षत्रों की क्या औकात कि वो मिलने से इंकार कर दें। शिवा के होने वाले ससुर जी और श्रीनाथ बाबू के होने वाले समधी पशुपति बाबू कलकत्ते के बड़े रईस थे। अब गाँव की हवा–पानी रास आ गई थी तो इधर ही अपनी जमींदारी संभाल रहे थे। कलकत्ते का कारोबार अपने बेटों पर छोड दिया था। घर में धन की कोई कमी नहीं थी। वो बस अपनी बेटी के लिए योग्य घर–वर खोज रहे थे, जो लगता था कि शिवा पर जाकर खत्म हो रही थी।

पूरे गाँव में चहल–पहल शुरू हो गई थी। शादी की तिथि पंद्रह दिन की तय हो गयी थी। आखिर, मंगलकार्य में देर कैसी। हरखू रात–दिन मेहनत कर पूरा घर चमकाने में लग गया। आखिर, इस घर की नई बहू आ रही है। सब कुछ सही रहना चाहिए। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शादी के घर में कितना काम होता है, कौन नहीं जानता। बाजार से सब कुछ सामान लाना, जो कुछ भी पंडित जी ने लिखवाया है या फिर हलवाई ने, सब कुछ हरखू के जिम्मे। श्रीनाथ बाबू बस पर्ची लिखकर दे देते और हरखू वो तीर की भांति बाजार सामान लेने निकल पड़ता। लग रहा था, उसकी खुद की बहन की शादी हो रही हो, जिसकी शादी के लिए वो रात–दिन इतने सालों से चाकरी कर रहा था। अक्सर इस भागा–दौडी में उसे खाने का भी होश नहीं रहता। दूसरे नौकर बोलते भी थे कि क्यों जान दिए जा रहा है! तू है तो आखिर नौकर ही न! वो उन सबकी बातों पर कान नहीं देता। उसने अपने घर में अपनी माँ और बहन शांति से भी बोल रखा था, ये शादी पूरे गाँव वालों के लिए यादगार होने वाली है।

शादी की तैयारियों के दिन पंख लगाकर उड़ गये और आखिर शादी का दिन भी आ ही गया। पूरा गाँव बिजली–बत्ती से जगमगा रहा था। बारात निकलने को तैयार थी। बाहर सड़क पर बारात जाने के लिए मोटर गाड़ियों का तांता लगा था। बारात के साथ जाने वाले मिठाइयों के डब्बे और टोकरे रखे जा रहे थे। कुछ मूल्यवान उपहार भी थे, जो वहां सभी दिए जाने थे। श्रीनाथ बाबू ने दिल खोल कर खर्च किया था, आखिर उधर से खजाना खोलकर जो खर्च हो रहा था। सभी नौकरों को नए कपड़े मिले थे, जो उन्हें बारात में पहन कर जाने थे। हरखू भी नए कपड़ों में फूला न समा रहा था और दुगुने जोश से काम कर रहा था। तभी एक डब्बा जो उसने सर पर उठा रखा था, एक मेहमान के टकरा जाने से नीचे गिर पड़ा। उससे निकल कर चारों तरफ शीशे के टुकडे फैल गए। वो एक महंगा रौशनी का झूमर था जिसे खास कर लखनऊ से मंगवाया गया था, जो पशुपति बाबू को उनकी बड़ी हवेली के लिए एक छोटा सा उपहार था।

तभी हरखू को लगा कि किसी ने उसे उतनी जोर से थप्पड़ मारा हो कि उसके कानों में गरम शीशे से भर गये हों। ये ईश्वरी था। हरखू वहीं के वहीं गिर गया और श्रीनाथ बाबू की ओर प्रश्न भरी निगाह से देखने लगा। क्या उसकी इतनी मेहनत केवल एक शीशे के डब्बे के गिर कर टूट जाने से खत्म हो जाएगी? श्रीनाथ बाबू की आँखों से शोले बरस रहे थे। लेकिन, इतने सारे मेहमानों के आगे उसे गालियाँ देकर या पीट कर तमाशा बनाना नहीं चाहते थे, सो अपनी आँखों में शोले लिए मुड़कर चले गये। ईश्वरी लगातार गालियाँ दे रहा था लात–घूंसे बरसा रहा था। उसने शिवा की ओर देखा, सर पर दुल्हे की पगड़ी पहने पहले तो कुछ देखता रहा, फिर होठों में कुछ बुदबुदा कर चला गया। हरखू ने महसूस किया उसकी बुदबुदाहट में कोई गाली छिपी थी। उसका मन छलनी–छलनी हो गया था। अब उसे किसी बारात में जाने की जल्दी नहीं थी। उसके लिए इतना उजाला मिलकर भी मन के अँधेरे को खत्म नहीं कर पा रहे थे। वो उठ कर धीरे–धीरे चलता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। उसके लिए अब इस तमाशे का कोई मोल नहीं था।

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

वर्तमान परिदृश्य में मानसिक स्वास्थ्य

फरहानाबानु खोखर
उच्च श्रेणी लिपिक

चिंतायाश्च चितायाश्च बिन्दुमात्रं विशिष्यते।
चिता दहति निर्जीवं चिन्ता दहति जीवनम॥

(अर्थात चिंता और चिता इन शब्दों में केवल एक बिन्दु का ही फर्क है। किंतु जहां चिता निर्जीव शरीर को जलाती है, वहीं चिंता मानव जीवन को ही जला देती है।)

वर्तमान और स्वास्थ्य की जब बात आती है तो सबसे पहली बात जो हमारे जेहन में उभरती है वो है कोरोना महामारी, जिसने आज पूरे विश्व को अपने घुटनों पर टेक दिया है, और मनुष्य मात्र को अपनी नश्वरता का आईना दिखा दिया है। अस्पतालों के बहार लगी लंबी कतारें, ऑक्सीजन के लिए बिलखते हुए लोग, जलती हुई लाशें, रोते–मरते परिजन, इन सबने आज हमारे दिलो–दिमाग में एक भयावह डर की भावना पैदा कर दी है, जिससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर एक गहरी चोट पहुंची है। पारंपरिक तौर पर संकट के समय में लोगों को समाज व परिजनों की तरफ से मानवीय स्पर्श और सहानुभूतिपूर्ण माहौल मिलता था पर अफसोस, इस दौर में यह पूरी तरह नदारत रहा। ऐसे में लोगों के मन मस्तिष्क में उदासीनता, अवसाद, अकेलापन, क्रोध, ओसिडी और आत्महत्या जैसी कई विनाशकारी भावनाएं जन्म ले रही हैं और इसमें भी खास तौर पर नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, बुजुर्ग और कोरोना की जंग में जुटे हुए कोरोना वॉरियर्स तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों का एक बड़ा तबका इस महामारी के दौर में मानसिक तौर पर टूट चुका है।

मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज की उदासीनता के कारण ही आज कोरोना काल में हमारे देश में अवसाद के मामलों में 70 फीसदी और आत्महत्या के मामलों में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। आंकडों की मानें तो भारतीय चिकित्सा शोध परिषद (ICMR) के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में हर सात में से एक व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार है। आंकडों के अनुसार, भारत में 15–29 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अवसाद आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है, और दुनिया भर में हर साल करीब 8 लाख लोग मानसिक तौर पर परेशान होकर खुदखुशी करते हैं। इस हिसाब से हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जान देता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में यह दर वैश्विक औसत से 60 फीसदी ज्यादा है। भौतिक दुनिया की चकाचौंध और हमेशा लोगों से घिरे रहने वाले कई नामचीन लोग भी आजकल आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, यही बात मानसिक बीमारियों की गंभीरता दर्शाती है।

लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भारत की आबादी का तकरीबन 20 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा मानसिक तौर पर बीमार होने के बावजूद भी मानसिक बीमारियों को एक रोग के तौर पर पहचान नहीं मिल पाई है, इसे यहाँ आज भी पश्चिमी मुल्कों से आयी हुई अमीर घरानों की या भूत प्रेतों से जुडी कोई काल्पनिक बीमारी माना जाता है और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को ताने मारे जाते हैं कि लोगों में आजकल सहनशीलता नहीं बची, वो शुक्रगुजार नहीं है और परिवार, दोस्तों तथा कार्यस्थल पर कई तरह के भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है, समाज से बहिष्कृत ऐसे ही कई लोग ड्रग्स, शराब आदि की लत में पड़ कर कई गंभीर व शर्मनाक अपराधिक कृत्य भी कर बैठते हैं और अगर किसी ने भूल से भी मनोचिकित्सक के पास ले जाने की सलाह दी तो काफी परिवार घबरा कर मंदिर, दरगाहों में झाडा फुंकवाने के लिए ले जाते हैं और कई बार तो गंभीर रूप से मानसिक बीमार मरीजों को सामाजिक कलंक के डर से मजबूरन वहीं बेड़ियों में बाँधकर बाबा व पंडितों के भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है।

देश में मानसिक बीमारियों की गंभीरता पर दुःख जताते हुए माननीय राष्ट्रपति जी ने 2017 में कहा था कि मानसिक बीमारी आने वाले समय में एक भयावह महामारी का रूप धारण कर सकती है, इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना मजबूत करने की दिशा में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 पारित किया जिसके अंतर्गत आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक बीमारी से पीड़ित मानकर उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा और देश के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव मुफ्त में एवं गोपनीयता के साथ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच तथा उनके पुनर्वास के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की। इसके अलावा भी सरकार योग और अध्यात्म की ओर लोगों की रूचि बढ़ाने के लिए राष्ट्र व्यापी कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है।

मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में समाज और परिवार की भी अहम भूमिका होती है, आज के डिजिटल युग में संबंध, मात्र मोबाइल की स्क्रीन तक सीमित रह गए हैं, आपस में भावनात्मकता और कर्तव्य–भाव की भावनाएं खत्म होती जा रही है, लॉकडाउन में अपने घर पर समय बिताते हुए किसी मानसिक समस्या की चपेट में आना ही अपने आप में इसका बड़ा प्रमाण है।

कोरोना महामारी के इस दौर में इंसानियत के नाते हम सबकी भी यह जिम्मेवारी है कि हमारे प्रियजनों या आसपास मौजूदा लोगों के व्यवहार में अगर कोई नकारात्मक बदलाव आये तो उन्हें बड़ी बड़ी सलाह सुवचन देने के बजाय उन्हें तवज्जो देकर कम से कम दो मिनट शांति से उनके मन की बात सुनें और जरूरत पड़ने पर बेझिझक उन्हें मनोचिकित्सक से सलाह लेने के लिए भी प्रेरित करें क्योंकि व्यक्ति खोने के बाद उसकी अर्थी को सहारा देने के लिए तो कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन जिंदा इंसानों को रोने के लिए कन्धा नहीं मिल पाता।

* * *

मैं चिंता छोड आया

शुभा जायसवाल
उच्च श्रेणी लिपिक

अपने दिल को मैं सिसकता छोड़ आया,
जो भी होना हो मैं होता छोड़ आया।

कौन बुझाता जेहन में उठते ज्वार,
सब श्रोता थे जिन्हें मैं छोड़ आया।

खुद ही होंगे ढूंढने हल मुझे तकलीफ के,
मैं यशो–राहुल को सोता छोड़ आया।

दो वृक्ष वो भी हैं मैं जिनका फल हूँ,
उनको भी मैं शाख गिनता छोड़ आया।

एक ताज मेरे वास्ते भी था अहम का,
उसको मैं नियति के सर पर छोड़ आया।

अब बुद्ध कहो या बुद्धू क्या परवाह,
सिर्फ चिंतन है मैं चिंता छोड़ आया।

धर्म और संविधान

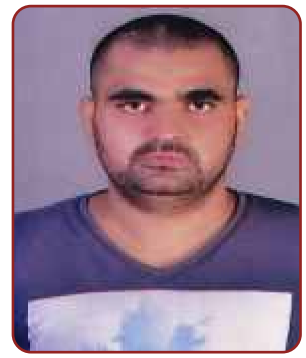

निखिल कुमार
अवर श्रेणी लिपिक

धर्म, मानव जीवन का न केवल अभिन्न अंग है, बल्कि यह हम सबके जीवन पर अमिट छाप भी छोड़ता है। भारतीय समाज मूल रूप से धार्मिक है। इसके कारण ही हम धर्म निरपेक्षता के विचार के साथ सहज नहीं हो पाते हैं।

सर्वे भवन्तु सुखिनः का सपना लगभग सभी धर्मों की प्रार्थना में मौजूद है। हर धर्म अपने अनुयायियों के लिए एक आचरण संहिता बनाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक पथ पर चलने के लिए दिशा–निर्देश देना है। धर्म की तरह संविधान भी विश्व तथा देश में एकजुटता लाने का प्रयास करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी एकजुटता प्रतिबिंबित होती है।

दूसरी तरफ धर्म के नाम पर होने वाले दंगे भी एक सच्चाई है जिसे हम नहीं झुठला सकते। इस तनाव को झेल चुके शहर जैसे की भागलपुर, अहमदाबाद, गोधरा, मेरठ, कंधमाल तथा मुजफ्फरनगर आदि के नाम गिनना प्रारंभ करें तो यह सूची लंबी होती जाएगी। कुछ लोग तो व्यंग्य में यह तक कहने लगे कि "मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना"।

परन्तु सभी धर्म सिखाते हैं कि, व्यक्ति को अपने माता पिता की जरूरतों की पूर्ति के लिए त्याग से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैनों और वैष्णव हिन्दुओं को सिखाया जाता है कि पशु हत्या पाप है, इसी प्रकार मुसलमानों तथा कैथोलिक ईसाईयों को सिखाया जाता है कि ब्याज की कमाई हराम है, दोनों तरफ के उदाहरण इतने है कि किसी एक सीधे सपाट निष्कर्ष पर पहुंच पाना आसान नहीं है।

धर्म तो विश्वास की बात है, इसमें तर्क और अनुभव का कोई काम नहीं है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध किया जाने वाला सबरीमाला मंदिर में चला विरोध खेदजनक होने के बावजूद कोई नया या आश्चर्यजनक नहीं है। शाहबानो के मामले में निर्णय के बाद भी ऐसा ही हुआ था। यह सब संवैधानिक नैतिकता के नाम पर किया जा रहा है। सुधार किये जाने आवश्यक तो हैं, परन्तु जब ये सुधार उपर से नीचे की ओर आते हैं तो अनुत्पादक ही रह जाते हैं और इनका हस्र यह होता है कि कट्टरपंथी ही बाजी मार जाते हैं।

हमारे न्यायालय न्याय का मंदिर कहे जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की मोहर पर भी "यतो धर्मस्ततो जयः" लिखा होता है। हिन्दु धर्म में धर्म और कानून को एक दूसरे का पर्याय माना गया है, हमारे शीर्ष न्यायालय का भी यही मानना है, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संवैधानिक नैतिकता के नाम पर जन–धर्म लाने का प्रयास करते दिख रहे हैं।

युधिष्ठिर को धर्मराज इसी अर्थ में कहा जाता है कि कुछ अपवाद को छोडकर, वे जीवनभर अपनी नैतिक धारणाओं से विचलित नहीं हुए, तुलसीदास ने भी कहा है

"परहित सरिस धरम नहीं भाई
पर पीड़ा सम नही अधमाई"

अर्थात दूसरों की सहायता से बढकर कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बढकर कोई अधर्म नहीं है।

निःसंदेह संविधान आधुनिक नागरिक धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, अन्य धर्मों की तरह ही इस नागरिक धर्म के भी अपने स्त्रोत, समारोह, पैगंबर और शहीद हैं। अगर इसे पूरा महत्व दिया जाता है तो संवैधानिक मीमांसा और न्यायाधीश के अनुसार धार्मिक पुनर्जागरण न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भात्रत्व की पूर्ण प्रतीति के साथ धरती पर स्वर्ग की स्थापना कर सकता है परन्तु विशुद्ध धार्मिक मामले के साथ निपटाया जाना चाहिए।

संवैधानिक नैतिकता जैसा विचार प्रशंसनीय है परन्तु वास्तविकता के धरातल पर धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ न तो धर्म से स्वतंत्रता है और न ही धर्म के अंतर्गत स्वतंत्रता।

साक्षात्कारः एक चुनौती

कमल राम प्रजापत
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

- अपने व्यक्तित्व की आभा दिखाएं।
- मुस्कुराएं, स्फूर्ति से चलें।
- मजबूती से हाथ मिलाएं।
- कुर्सी पर आत्मविश्वास से बैठें।
- शिष्टता एवं सम्मानजनक व्यवहार करें।
- गंभीर चर्चा करें, अपना स्पष्ट मत रखें।
- स्वयं को महत्वाकांक्षी दिखाएं।
- जीवन–जगत में निष्ठा जाहिर करें।
- सहज ईमानदाराना व्यवहार करें।
- सबको सौम्य नजरों से देखें।
- अनावश्यक आलोचना न करें, सकारात्मक रहें।
- कार्य एवं सेवा के प्रति आस्था बताएं।
- ठीक स्वर, गति से बात करें।
- प्रभावी ढंग से बात करें।
- ज्ञान एवं व्यवहार दोनों को जोड़कर रखें।
- प्राप्त कर सकने योग्य आदर्श रखें।
- अपनी बारी का इन्तजार करें।
- सबको धैर्यपूर्वक सुनें।
- आद्योपांत एक ही सुदृढ राय रखें।
- उत्साहपूर्ण चेहरा, आंखों में चमक रखें।
- सीख सकने का दृष्टिकोण बताएं।
- हमारे अंदर छिपी चिनगारी को चमकाएं।
- किसी बहस में न उलझें ।
- किसी भी विचार को लेकर तर्क करें तकरार नहीं।
- अजीब टेढे प्रश्नों को सुनकर विचलित न हों।
- चापलूसी न करें, हां में हां न मिलाएं।
- अपनी आत्मप्रशंसा न करें।
- अन्य की वास्तविक प्रशंसा करने में संकोच न करें।
- स्वयं पर एवं स्वयं की शक्तियों पर भरोसा करें।
- आत्महीनता से बचें।

क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद में वर्ष 2020-2021 में हिंदी प्रगति की रिपोर्ट

क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद में वर्ष 2020-2021 के दौरान राजभाषा नीति का कार्यान्वयन अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक के मार्गदर्शन में किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय में भारत सरकार, राजभाषा विभाग एवं मुख्यालय, नई दिल्ली के दिशा निदेशानुसार राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य सुनिश्चित किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय में अवस्थित राजभाषा शाखा के सभी कार्मिकों की कर्मठता, प्रतिबद्धता तथा सभी कार्मिकों के सहयोग से कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिला। क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी प्रयोग संबंधी उपलब्धियों की रिपोर्ट निम्न प्रकार है।

1. क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को गति देने तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2020-21 जारी किया गया है।
2. कर्मचारियों को हिंदी में काम करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए 04 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है जिनमे 40 कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाया गया।
3. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों द्वारा अपना संपूर्ण कार्यालयीन काम हिंदी में करने हेतु राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत व्यक्तिशः आदेश जारी किये गये।
4. क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चारों तिमाही बैठकें यथा समय आयोजित की गई।
5. निगम के कर्मचारियों एवं अधिकारियों में हिंदी के प्रति रुचि जागृत करने के लिए एवं पठन हेतु हिंदी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की खरीद की गई।
6. गृह मंत्रालय, भारत सरकार राजभाषा विभाग के अधीन संचालित हिंदी शिक्षण योजना में टंकण प्रशिक्षण हेतु 04 एवं भाषा प्रशिक्षण हेतु 04 कर्मचारियों को नामित किया गया।
7. क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखा कार्यालयों में राजभाषा नीति के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने एवं कठिनाइयों का समाधन करने के लिए शाखा कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालय की शाखाओं का निरीक्षण किया गया।
8. क्षेत्रीय कार्यालय की सभी शाखाओं एवं शाखा कार्यालयों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई।
9. मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय एवं नराकास को भेजी जाने वाली सभी मासिक, तिमाही, छमाही एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट यथासमय प्रेषित की गई।
10. राजभाषा कार्यान्वयन के लिए स्थापित जांच बिन्दुओं की सूची अनुपालन हेतु जारी की गई एवं जांच बिंदुओं पर निगरानी रखी गई।
11. क्षेत्रीय कार्यालय में 01 से 15 सितम्बर 2020 तक राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदी की 04 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया।
12. नराकास अहमदाबाद द्वारा आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में इस कार्यालय के कार्मिकों ने प्रतिभागिता की।
13. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अहमदाबाद की दोनों बैठकों में इस कार्यालय की ओर से प्रतिभागिता की गई। कार्यालय अध्यक्ष ने बैठकों में स्वयं भाग लिया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा इस कार्यालय को वर्ष 2020-21 में राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
14. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अधीन जारी किये गये सभी दस्तावेज का हिंदी अनुवाद उपलब्ध करवाया गया और उन्हें द्विभाषी रूप में जारी करवाया गया।
15. क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद में माह सितम्बर 2020 में आयोजित हिंदी की 04 प्रतियोगिताओं में कुल 109 कार्मिकों ने प्रतिभागिता की।
16. क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद द्वारा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदान किये गये विभिन्न हितलाभों के प्रकरणों को संकलित करके एक हिंदी पुस्तक 'ईएसआईसी गुजरात का हाथ राज्य के श्रमिकों/कामगारों के साथ' का प्रकाशन किया गया है, जिसमें आश्रितजनों के द्वारा लिखित एवं मौखिक कहानियों का संकलन किया गया है। यह हिंदी पुस्तक कामगारों को ईएसआईसी द्वारा प्रदत्त हितलाभों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए चेतना का संचार करती है।

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद की उपलब्धियां

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष/Year 2018-19	वर्ष/Year 2019-20	वर्ष/Year 2020-21
1	शाखा कार्यालयों की संख्या	22	22	22
2	बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या	827800	847240	---
3	बीमाकृत कर्मचारियों की संख्या	738650	769220	---
4	नियोक्ताओं की संख्या	31359	32980	---
5	राजस्व आय (करोड़ में)/वसूली	548.67	392.26	330.15
6	राजस्व वसूली (करोड़ में)	9.68	6.12	4.93
7	नकद हितलाभ पर व्यय (करोड़ में)	35.50	40.00	37.41
8	चिकित्सा हितलाभ पर व्यय (करोड़ में)	183.85 200.99	142.82 169.31	177.40 201.01

(1) क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या-01
(2) उप क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या-02
(3) आदर्श अस्पताल की संख्या-01
(4) क.रा.बी. अस्पताल की संख्या-03
(5) शाखा कार्यालय की संख्या-31
(6) चिकित्सालय सह शाखा कार्यालय-03

अन्य क्षेत्र/कार्यालयों से क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद में स्थानांतरित अधिकारियों के नाम एवं पदनाम

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	पदनाम	कार्य-मुक्ति की तिथि
1	श्री रत्नेश कुमार गौतम	अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक	01.01.2020
2	श्री निखिल कुमार	सहायक निदेशक	22.12.2020

क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद से अन्य क्षेत्र/कार्यालयों में स्थानांतरित अधिकारियों के नाम एवं पदनाम

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	पदनाम	कार्य-मुक्ति की तिथि
1	श्री दीपक कुमार चौरसिया	उप निदेशक	31.01.2020
2	श्री सुनील कुमार गौतम	सहायक निदेशक	28.02.2020
3	श्री अमरेश कुमार झा	सहायक निदेशक	28.02.2020

सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति प्राप्त कार्मिकों के नाम

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	पदनाम	कार्य-मुक्ति की तिथि
1	श्री हर्षद एम. सोलंकी	सहायक निदेशक	30.12.2020
2	श्री जय प्रकाश	सहायक निदेशक	19.03.2021
3	श्री जीतेन्द्र बी. सेंगल	सहायक निदेशक	24.03.2021
4	श्री महाबीर जी	सहायक निदेशक	26.03.2021
5	श्रीमती नीलम कुमारी	सहायक निदेशक	01.07.2021

भारत सरकार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

(प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त-गुजरात कार्यालय, अहमदाबाद)

प्रशस्तिपत्र

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अहमदाबाद के स्तर पर वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए *कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद* कार्यालय ने *प्रथम पुरस्कार* प्राप्त किया है। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें शील्ड तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

पुरस्कृत कार्यालय के सभी कार्मिकों से यह अपेक्षा है कि वे अपने सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें।

(रवीन्द्र कुमार)

अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त-गुजरात, अहमदाबाद

स्थान : अहमदाबाद

दिनांक : 12.08.2021

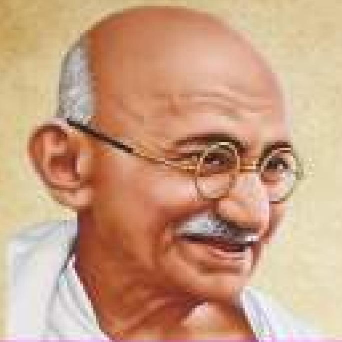

गांधी जी का दर्शन! ईएसआईसी करता है अनुपालन!

1. गांधी जी ने कहा था कि "एक ग्राहक हमारे परिसर में सबसे महत्त्वपूर्ण आंगतुक है। हम उन पर निर्भर हैं। वह हमें सेवा करने का मौका देकर हम सब पर एहसान कर रहा है।"
2. संरक्षण (ट्रस्टीशिप) का सिद्धांत – द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भावी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के व्यवसायिक पक्ष पर चर्चा के दौरान गांधी जी ने कहा था कि कामगार जो अधिकांशतः कथित उच्च वर्ग एवं राज्य की कृपा पर जीवित रहते थे, उनकी परिस्थितियों का सम्मान करने के लिए जो पहला अधिनियम लाया जाए, वह इन लोगों को जमीन या आय का साधन प्रदान करने के लिए होना चाहिए। इसका मूल्य युरोपियन सहित धनिक वर्ग से आना चाहिए।
3. महात्मा गांधी ने देश में ग्राम, समुदाय, शहर अथवा जिला आदि प्रत्येक स्तर पर 'स्वावलंबन' को बल दिया।
4. टॉलस्टॉय आश्रम में गांधी जी अपनी क्षमता या संसाधन के अनुसार काम करने, और जरूरत के अनुसार आश्रम में रहने वालों द्वारा प्रतिफल (खाने/रहने का संसाधन) ले जाने के विचार को प्रोत्साहित करते थे।
5. गांधी जी, 'सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया।' जैसी अवधारणा का सम्मान और अभ्यास करते थे।

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) में हम आई.पी. (बीमित व्यक्ति) को वी.आई.पी. (अति विशिष्ट व्यक्ति) मानते हैं।
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ई.एस.आई. एक्ट) स्वतंत्र भारत के केंद्रिय विधायिका द्वारा पास किए गए पहले कानूनों में से एक है। यह ई.एस.आई.योजना, जो औद्योगिक एवं व्यवसायिक कामगारों के लिए है, इसी प्रकार के विचार पर आधारित है। इसके अंशदान का बडा हिस्सा 3.25% नियोक्ता या स्वामित्व वर्ग द्वारा दिया जाता है।
- ई.एस.आई.सी. निधि (फंड) भी कामगारों तथा उनके नए नियोक्ताओं द्वारा अंशदान के माध्यम से स्वावलंबित है।
- ई.एस.आई. योजना में बीमित व्यक्ति अपनी आय क्षमता/वेतन के अनुसार अंशदान देता है। परंतु हमारे निगम द्वारा, कामगार और उसके परिवार को उनकी जरूरत के अनुसार मेडिकल देखरेख प्रदान की जाती है।
- ई.एस.आई.सी. भी सभी लाभार्थियों के निरामया यानी निरोगी बनाने के लिए काम करता है। और उन सभी के बीमारी, रोजगार जनित दुर्घटना, मृत्यु, निःशक्तता, मातृत्व के कठिन समय, बेरोजगारी जैसे दुःखो का निवारण करते हुए, सुखी बनाने की कोशिश करता है।

सत्यमेव जयते
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
वेबसाइट: www.labour.gov.in

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
वेबसाइट: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

टॉल-फ्री नंबर: 1800-11-2526, चिकित्सा हेल्पलाईन नंबर: 1800-11-3839